CENGAGE

Cengage EXAM CRACK Series®

भारत की राजव्यवस्था

सिविल सेवा एवं राज्य स्तरीय सेवाओं की परीक्षाओं हेतु

प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी में उपयोगी

prepmate

भारतीय राजव्यवस्था

सिविल सेवा एवं राज्य स्तरीय सेवाओं की परीक्षाओं हेतु

CENGAGE

Australia • Brazil • India • Mexico • Singapore • United Kingdom • United States

CENGAGE

भारतीय राजव्यवस्था

© 2019 Cengage Learning India Pvt. Ltd.

ALL RIGHTS RESERVED. No part of this work covered by the copyright herein may be reproduced, transmitted, stored, or used in any form or by any means graphic, electronic, or mechanical, including but not limited to photocopying, recording, scanning, digitizing, taping, Web distribution, information networks, or information storage and retrieval systems, without the prior written permission of the publisher.

For permission to use material from this text or product, submit all requests online at
www.cengage.com/permissions

Further permission questions can be emailed to
India.permission@cengage.com

ISBN-13: 978-93-86668-94-3
ISBN-10: 93-86668-94-7

Cengage Learning India Pvt. Ltd.
418, F.I.E., Patparganj
Delhi 110092

Cengage Learning is a leading provider of customized learning solutions with office locations around the globe, including Australia, Brazil, India, Mexico, Singapore, United Kingdom and United States. Locate your local office at: **www.cengage.com/global**

Cengage Learning products are represented in Canada by Nelson Education, Ltd.

For product information, visit **www.cengage.co.in**

Printed in India

विषय-सूची

प्राक्कथन *xix*
आभार-पूर्ति *xxi*
वीडियो-सूची *xxiii*
पिछले वर्षों के प्रश्नों का अध्याय अनुसार विश्लेषण *xxv*

1 **संविधान का निर्माण** **1**

भारतीय संविधान के स्रोत 1
संविधान सभा की संरचना 1
संविधान सभा की कार्यप्रणाली 2
संविधान सभा की समितियां 3
प्रक्रिया से संबंधित मामलों और पर्याप्त मामलों की समिति के बीच अंतर *3*
संविधान की अधिनियमिति 4
अभ्यास प्रश्न *4*
पिछली प्रारंभिक परीक्षा *7*

2 **संविधान की प्रस्तावना** **9**

प्रस्तावना का विषय वस्तु 9
प्रस्तावना की मुख्य शब्दावली 9
प्रस्तावना की भूमिका 11
प्रस्तावना में संशोधन 11
अभ्यास प्रश्न *12*
पिछली प्रारंभिक परीक्षा *14*

3 **भाग। संघ और इसके क्षेत्र** **15**

भाग I: संघ और इसके क्षेत्र 15
अभ्यास प्रश्न *17*
पिछली प्रारंभिक परीक्षा *18*

4 भाग II नागरिकता 19

नागरिकता प्राप्ति के तरीके 19
नागरिकता की हानि 20
दोहरी नागरिकता 20
भारत के विदेशी नागरिक 20
अभ्यास प्रश्न *21*

5 भाग III मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 12-35) 25

अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा 25
अनुच्छेद 13 साधारण कानून मौलिक अधिकारों के संघर्ष में 25
आच्छादन के सिद्धांत का निहितार्थ *26*
मौलिक अधिकारों का वर्गीकरण 26
अनुच्छेद 14-18 समता का अधिकार *26*
अनुच्छेद 19-22 स्वतंत्रता का अधिकार *30*
अनुच्छेद 23-24 शोषण के विरुद्ध अधिकार *32*
Article 25-28 धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार *33*
अनुच्छेद 29-30 अल्पसंख्यकों के संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार *34*
अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार *35*
अभ्यास प्रश्न I *39*
मौलिक अधिकारों के अपवाद 42
मौलिक अधिकारों की विशेषताएं 44
मौलिक अधिकारों के संशोधन की सीमा 45
संविधान के बुनियादी ढांचे के सिद्धांत का उद् गमन 45
शंकरी प्रसाद मामले में निर्णय,1951 *46*
गोलकनाथ मामला,1967 *46*
केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला, 1973 *46*
मिनर्वा मिल्स केस, 1980 *47*
वामन राव केस, 1981 *47*
आई. आर. कोहिलो केस, 2007 *47*
मौलिक अधिकारों का निलंबन 47
अभ्यास प्रश्न II *48*
पिछली प्रारंभिक परीक्षा *51*

6 भाग IV राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांत 53

डी.पी.एस.पी. एक आदर्श 'कल्याणकारी राज्य' को दर्शाता है 53
डीपीएसपी की श्रेणियां 53
समाजवादी सिद्धांत 53
गांधीवादी सिद्धांत 54
उदार-बौद्धिक सिद्धांत 55
राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांतों की विशेषताएं 55
डी.पी.एस.पी. और मौलिक अधिकारों में अंतर 56
डी.पी.एस.पी. की पदवी और उपयोगिता 56
डीपीएसपी के कार्यान्वयन में समस्याएं 57
अभ्यास प्रश्न 59
पिछली प्रारंभिक परीक्षा 61

7 भाग IVक मौलिक कर्त्तव्य 65

मौलिक कर्त्तव्य क्या हैं? 65
मौलिक कर्त्तव्यों की विशेषताएं 66
मौलिक कर्तव्यों की आलोचना 66
अभ्यास प्रश्न 67
पिछली प्रारंभिक परीक्षा 68

8 भाग V संघ 71

केंद्रीय कार्यकारी 71
भारत का राष्ट्रपति 72
राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति 72
राष्ट्रपति का चुनाव 73
राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद 76
अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति का कार्यकाल 76
अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं 76
अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति की शपथ 77
अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया 77
राष्ट्रपति की निषेधाधिकार शक्ति 77
राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियां 78
राष्ट्रपति की क्षमादान करने की शक्ति 80

अभ्यास प्रश्न I 81
उपराष्ट्रपति 83
उपराष्ट्रपति का चुनाव 83
उपराष्ट्रपति का निष्कासन 84
उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 84
अभ्यास प्रश्न II 84
प्रधानमंत्री 85
प्रधानमंत्री की शपथ 85
प्रधानमंत्री कार्यालय 86
मंत्रिपरिषद् 86
मंत्रियों द्वारा इस्तीफा 86
उप-प्रधानमंत्री 86
संसदीय सचिव 87
91वां संशोधन अधिनियम, 2003, और मंत्रिपरिषद् की संख्या 87
91वां संशोधन अधिनियम और संसदीय सचिव 87
मंत्रिमंडल 87
मंत्रियों का उत्तरदायित्व 87
मंत्री होने के लिए आवश्यक शर्तें 88
मंत्रियों का समूह 89
सचेतक 89
भारत में संसदीय स्वरूप की सरकार की उपयुक्तता 91
मंत्रालय और उनके विभागों की सूची 92
अभ्यास प्रश्न III 95
भारत का महान्यायवादी 98
नियुक्ति 98
कार्य 98
कार्यकाल 98
महान्यायवादी की विशेष शक्ति 99
भारत का महा याचक 99
अभ्यास प्रश्न IV 99
संघीय विधानमंडल 100
संसद की बहुक्रियाशील भूमिका 101
राज्यसभा 102
सदस्यता और संरचना 102
राज्य सभा के सदस्यों का कार्यकाल 103
राज्य सभा का अध्यक्ष 103
राज्य सभा का उपाध्यक्ष 103

राज्यसभा की सदस्यता के लिए योग्यताएं *103*
राज्य सभा के विशेष अधिकार *103*
राज्यसभा की उपयुक्तता *104*
लोक सभा 104
लोकसभा की सदस्यता और संरचना *104*
लोक सभा का कार्यकाल *104*
अनुच्छेद 84 लोक सभा के सदस्य की योग्यता *104*
लोकसभा और राज्यसभा की सदस्यता के लिए योग्यताएं *105*
अभ्यास प्रश्न V *105*
लोक सभा का स्पीकर *108*
अभ्यास प्रश्न VI *111*
निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा-निर्धारण *114*
परिसीमन आयोग या सीमांकन आयोग *114*
अभ्यास प्रश्न VII *115*
संसद के सत्र *116*
अभ्यास प्रश्न VIII *118*
अनुच्छेद 101 संसद के सदस्य की सीट रिक्त होना *119*
संसद के सदस्यों की अयोग्यता *120*
संसदीय कार्यवाही *121*
संसदीय प्रक्रिया *122*
विधेयक *125*
अभ्यास प्रश्न IX *127*
अनुच्छेद 108 संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक *134*
राष्ट्रपति का संबोधन *134*
व्यवस्था का प्रश्न *135*
अभ्यास प्रश्न X *135*
उन्मुक्तियां और संसदीय विशेषाधिकार *137*
विशेषाधिकार का उल्लंघन और सदन की अवमानना *139*
परंपराएं *139*
अध्यादेश/कार्यपालिका की वैधानिक शक्ति 140
अभ्यास प्रश्न XI 140
बजट 142
अनुच्छेद 112(3) भारित व्यय *142*
अनुच्छेद 116(1)(क) लेखानुदान *143*
अनुच्छेद 116(1)(ख) प्रत्ययानुदान *143*
बजट पारित होने के चरण *143*
संघ और राज्य सरकारों के निधि और लोक लेखे *144*

अभ्यास प्रश्न XII 145
संसदीय समितियां 147
अभ्यास प्रश्न XIII 151
संघीय न्यायिक: सर्वोच्च न्यायालय 153
न्यायपालिका की संरचना 153
सर्वोच्च न्यायालय के कार्य 153
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति 154
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए योग्यताएं 158
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाना 158
सर्वोच्च न्यायालय के स्थानीय बेंच 159
नेशनल कोर्ट ऑफ अपील 159
सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता 160
अनुच्छेद 129 उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है 161
जनहित याचिका 161
न्यायिक सक्रियता 162
अदालत की अवमानना 162
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की स्वतंत्रता के लिए संविधान में प्रावधान 163
अनुच्छेद 146 सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारी और सेवक तथा व्यय 163
अभ्यास प्रश्न XIV 164
भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक 166
कैग के लेखा परीक्षा की प्रकृति 166
कैग की नियुक्ति और अवधि 167
अभ्यास प्रश्न XV 167
पिछली प्रारंभिक परीक्षा 169

9 **भाग VI राज्य** **183**

राज्य कार्यकारी 183
राज्यपाल 184
मुख्यमंत्री 185
महाधिवक्ता 187
अभ्यास प्रश्न I 187
राज्य विधानसभा 190
विधान सभा 190
विधान परिषद् 191
राज्यों में विधान विधि 191

अभ्यास प्रश्न II 193
राज्य न्यायपालिका 196
उच्च न्यायालय 196
जिला न्यायालय 199
अभ्यास प्रश्न III 200
गैर-संवैधानिक न्यायालय 202
त्वरित अदालतें या फास्ट ट्रैक न्यायालय 202
लोक अदालतें 203
ग्राम न्यायालय 204
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण 205
अभ्यास प्रश्न IV 206
पिछली प्रारंभिक परीक्षा 208

10 **भाग VIII केंद्र शासित प्रदेश** **213**

केंद्र शासित प्रदेश 213
केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण 213
संघ शासित प्रदेशों का प्रशासन 213
अनुच्छेद 239कक दिल्ली के संबंध में विशेष प्रावधान 214
अभ्यास प्रश्न 215

11 **भाग IX पंचायत** **217**

अभ्यास प्रश्न 220
पिछली प्रारंभिक परीक्षा 222

12 **भाग IXक नगरपालिका** **225**

74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम की विशेषताएं 225
विकेंद्रीकृत नियोजन 227
जिला नियोजन समिति 227
महानगरीय नियोजन समिति 227
शहरी और ग्रामीण स्थानीय निकायों की समस्याएं 227
नगरीय सरकार के प्रकार 228
अभ्यास प्रश्न 230
पिछली प्रारंभिक परीक्षा 233

13 **भाग IXख सहकारी समितियां** **235**

सहकारी समिति 235
अभ्यास प्रश्न *237*

14 **भाग X अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र** **239**

अनुसूचित क्षेत्र 239
जनजाति क्षेत्र 239

15 **भाग XI संघ और राज्यों के बीच संबंध** **241**

वैधानिक संबंध 241
प्रशासकीय संबंध 242
कार्यकारी शक्तियों का पारस्परिक प्रतिनिधिमंडल *243*
अभ्यास प्रश्न *243*
पिछली प्रारंभिक परीक्षा *245*

16 **भाग XII वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद** **247**

केंद्र-राज्य वित्तीय संबंध 247
कर निर्धारण शक्तियों का आबंटन 247
कर राजस्व का वितरण 247
वस्तु और सेवा कर: 101 संवैधानिक संशोधन अधिनियम 249
जीएसटी के घटक: राज्य वस्तु और सेवा कर (एसजीएसटी), केंद्र वस्तु और सेवा कर (सीजीएसटी) और एकीकृत वस्तु और सेवा कर (आईजीएसटी) *249*
जीएसटी को लागू करने के लिए संविधान में संशोधन *249*
मौजूदा अनुच्छेदों में अन्य महत्वपूर्ण संशोधन *251*
7वीं अनुसूची में बदलाव *252*
गैर-कर राजस्व का वितरण *252*
राज्यों को अनुदान सहायता *252*
वित्त आयोग 253
योजना आयोग 253
नीति आयोग 253
अंतर्राज्यीय जल विवाद को हल करने के लिए संवैधानिक तंत्र (अनुच्छेद 262) 255
अनुच्छेद 263 अंतरराज्यीय परिषद् 256

क्षेत्रीय परिषद् 257
सरकार के अधिकार और दायित्व 257
संघ और राज्यों की संपत्ति 257
सरकार द्वारा या इसके विरोध में वाद 258
सार्वजनिक अधिकारियों के खिलाफ वाद 258
केंद्र और राज्यों द्वारा लिए गए उधार 258
अभ्यास प्रश्न *259*
पिछली प्रारंभिक परीक्षा *262*

17 **भाग XIII भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर व्यापार, वाणिज्य और समागम 263**

18 **भाग XIV संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं 265**

लोक सेवाएं 265
अनुच्छेद 309 संघ या एक राज्य को सेवा प्रदान करने वाले व्यक्तियों की भर्ती तथा सेवा की शर्तें *265*
अनुच्छेद 310 संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि *265*
अनुच्छेद 311संघ या एक राज्य के तहत सिविल क्षमता में कार्यरत व्यक्तियों को पदच्युत किया जाना, पद से हटाया जाना या पंक्ति में अवनत किया जाना *266*
लोक सेवा आयोग 266
लोक सेवा आयोग के कार्य *267*
लोक सेवा आयोग के सदस्यों के लिए प्रावधान *267*
अभ्यास प्रश्न *269*

19 **भाग XIVक अधिकरण 271**

अभ्यास प्रश्न *272*
पिछली प्रारंभिक परीक्षा *273*

20 **भाग XV निर्वाचन 275**

बुनियादी सिद्धांत 275
अनुच्छेद 324 भारत का निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग 276
मुख्य चुनाव आयुक्त *276*
चुनाव आयुक्त *277*

क्षेत्रीय चुनाव आयुक्त 277
चुनाव आयोग की शक्तियां 277
नैतिक/आदर्श आचार संहिता 278
भारत की चुनाव प्रणाली 278
आधुनिक चुनाव सुधार 279
प्रस्तावित चुनावी सुधार 280
अभ्यास प्रश्न 281
पिछली प्रारंभिक परीक्षा 284

21 **भाग XVI कुछ वर्गों से संबंधित विशेष उपबंध** **287**
अभ्यास प्रश्न 289

22 **भाग XVII राजभाषा** **291**
संघ की भाषा 291
क्षेत्रीय भाषाएं 291
न्यायपालिका और कानूनों की भाषा 292
विशेष निर्देश 292
अभ्यास प्रश्न 293

23 **भाग XVIII आपात उपबंध** **295**
राष्ट्रीय आपातकाल 295
राष्ट्रीय आपातकाल का अनुमोदन 296
राष्ट्रीय आपातकाल का खण्डन 296
राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव 296
44वां संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा समाविष्ट राष्ट्रीय आपातकालीन प्रावधानों के दुरुपयोग को रोकने के लिए सुरक्षा उपाय 297
राज्य आपातकाल (राष्ट्रपति शासन) 297
राज्य आपातकाल की अवधि और निरंतरता 298
वित्तीय आपातकाल 298
वित्तीय आपातकाल के परिणाम 298
अभ्यास प्रश्न 299
पिछली प्रारंभिक परीक्षा 301

24 **भाग XIX प्रकीर्ण** **303**

अनुच्छेद 361 राष्ट्रपति और राज्यपालों का संरक्षण 303
अनुच्छेद 366 परिभाषाएं 303
अभ्यास प्रश्न *304*
पिछली प्रारंभिक परीक्षा *304*

25 **भाग XX संविधान का संशोधन** **305**

महत्वपूर्ण संशोधनों की सूची 305
अभ्यास प्रश्न *307*
पिछली प्रारंभिक परीक्षा *308*

26 **भाग XXI अस्थायी, परिवर्ती और विशेष प्रावधान** **311**

जम्मू और कश्मीर की विशेष स्थिति 311
परिचय *311*
अनुच्छेद 370: जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध *311*
भारत और जम्मू-कश्मीर के बीच वर्तमान संबंध *312*
अनुच्छेद 371 महाराष्ट्र और गुजरात से संबंधित विशेष प्रावधान 314
अनुच्छेद 371क नागालैंड राज्य से संबंधित विशेष प्रावधान 315
अनुच्छेद 371ख असम राज्य से संबंधित विशेष प्रावधान 315
अनुच्छेद 371ग मणिपुर राज्य से संबंधित विशेष प्रावधान 315
अनुच्छेद 371घ आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित विशेष प्रावधान 316
अनुच्छेद 371ङ आंध्र प्रदेश में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना 316
अनुच्छेद 371च सिक्किम राज्य से संबंधित विशेष प्रावधान 316
अनुच्छेद 371छ मिज़ोरम राज्य से संबंधित विशेष प्रावधान 317
अनुच्छेद 371ज अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित विशेष प्रावधान 317
अनुच्छेद 371झ गोवा राज्य से संबंधित विशेष प्रावधान 317
अनुच्छेद 371ञ हैदराबाद-कर्नाटक क्षेत्र से संबंधित विशेष प्रावधान 318
अभ्यास प्रश्न *318*

27 **भाग XXII संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, प्राधिकृत पाठ** **321**

अनुच्छेद 393 संक्षिप्त नाम 321
अनुच्छेद 394 प्रारंभ 321
अनुच्छेद 394क हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ 321

28 **अनुसूचियां** **323**

पहली अनुसूची 323
दूसरी अनुसूची 323
तीसरी अनुसूची 323
चौथी अनुसूची 324
पांचवी· अनुसूची 324
छठी अनुसूची 325
सातवीं अनुसूची 325
सातवीं अनुसूची 329
अनुसूची 8 के अंतर्गत शामिल किए जाने के प्रभाव क्या हैं? *330*
नौंवी अनुसूची 330
दसवीं अनुसूची 330
ग्यारहवीं अनुसूची 331
बारहवीं अनुसूची 332
अभ्यास प्रश्न *333*
पिछली प्रारंभिक परीक्षा *336*

29 **विविध विषय** **339**

पूर्वता-क्रम तालिका 339
बहुमत के प्रकार 340
भारतीय संविधान का स्वरूप: एकात्मक या संघीय 341
भारतीय संविधान की संघीय प्रकृति *341*
भारतीय संविधान की एकात्मक प्रकृति *341*
क्या भारत एक अर्ध-संघीय राज्य है? *342*
शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत 342
शक्तियों के पृथक्करण का कारण *342*
शक्तियों के पृथक्करण का अर्थ *342*
शक्तियों का पृथक्करण: मोंटेस्क्यू के विचार *343*
शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत: आलोचना *343*
शक्तियों का पृथक्करण तथा नियंत्रण और संतुलन *343*
भारतीय संविधान की विशेषताएं 344
अमेरिकी और ब्रिटिश मॉडल का मिश्रण 345
भारत मॉडल और ब्रिटिश मॉडल के बीच तुलना *346*
अलिखित संविधान के प्रभाव *346*
अमेरिकी संविधान के साथ भारतीय संविधान की तुलना *346*

राष्ट्रपति प्रणाली का संसदीय प्रणाली पर लाभ *347*
अभ्यास प्रश्न *348*

30 **वैधानिक, विनियामक और अर्ध-न्यायिक निकाय** **351**

वैधानिक, विनियामक और अर्ध-न्यायिक निकायों का वर्गीकरण 351
मौजूदा निकाय जिन्हें सरकार से स्वतंत्रता चाहिए *351*
जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति *352*
अन्य मौजूदा नियामक एजेंसियां *353*
अन्य मौजूदा विधिक निकाय *353*
अन्य राष्ट्रीय आयोग *355*
अभ्यास प्रश्न *355*
पिछली प्रारंभिक परीक्षा *357*

31 **नागरिक घोषणापत्र** **359**

नागरिक घोषणापत्र के उद्देश्य 359
भारतीय अनुभव *359*
नागरिक घोषणापत्र के तत्व 360
नागरिक घोषणापत्र के कार्यान्वयन में भारतीय अनुभव *360*
सूचना और सुविधा काउंटर *360*
समस्याएं और कमियां *360*
नागरिक घोषणापत्र के कार्यान्वयन के दौरान सामने आई समस्याओं से सीखे गए पाठ *361*
कार्यान्वित नागरिक घोषणापत्र के कार्य में कमियां *361*
चार्टर मार्क 361
अभ्यास प्रश्न *362*

32 **सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005** **363**

सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधान 363
सूचना अधिकार अधिनियम को लागू करने में व्यावहारिक समस्याएं 364
अभ्यास प्रश्न *365*

33 भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसियां 367

केन्द्रीय सतर्कता आयोग 367
सदस्यता 367
कार्य 367
कमियां 368
केंद्रीय जांच ब्यूरो 368
सदस्यता 368
कार्य 368
केंद्रीय जांच ब्यूरो के समक्ष आने वाली समस्याएं 369
लोकपाल और लोकायुक्त 369
लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 369
लोकपाल की रचना 369
लोकपाल का जांच विंग 370
अभियोजन विंग 370
लोकपाल की अधिकारिता 370
केंद्रीय जांच ब्यूरो पर लोकपाल की शक्तियां 370
अभ्यास प्रश्न 370

34 सचिवालय 373

केंद्रीय सचिवालय 373
मंत्रालय की संरचना 373
मंत्रालय के भीतर विभाजन 374
विभाजन प्रणाली 374
ब्रिटिश मॉडल के साथ अंतर 374
स्वीडिश मॉडल के साथ समानता 374
भूमिका और कार्य 375
कार्यकाल प्रणाली 375
कैबिनेट सचिवालय 375
कैबिनेट सचिव 376
मुख्य सचिव 376
प्रमुख सचिव 376
संघ और राज्य में सचिवालय अधिकारी 377

सचिव *377*
अतिरिक्त/ संयुक्त सचिव *377*
अभ्यास प्रश्न *377*
पिछली प्रारंभिक परीक्षा *378*

35 **चुनाव कानून** **381**

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 381
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के महत्नवपूर्ण प्रावधान *381*
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 382
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के महत्नवपूर्ण प्रावधान *382*
संपत्ति की घोषणा 384
चुनाव खर्चों पर सीमाएं 384
चुनावों के संचालन के लिए प्रशासनिक तंत्र 384
मुख्य निर्वाचन अधिकारी *384*
जिला चुनाव अधिकारी *385*
प्रेक्षक *385*
रिटर्निंग ऑफिसर *385*
सहायक रिटर्निंग ऑफिसर *385*
पीठासीन अधिकारी *385*
मतदान अधिकारी *385*
चुनावों से संबंधित विवाद 385
याचिका का परीक्षण *386*
राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी और राज्य राजनीतिक पार्टी 386
राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी *386*
राज्य राजनीतिक पार्टी *387*
अभ्यास प्रश्न *387*
पिछली प्रारंभिक परीक्षा *389*

समाधान: अभ्यास प्रश्न और पिछली प्रारंभिक परीक्षा ***391***
मुख्य परीक्षा में उत्तर लिखने की रणनीति ***441***
संविधान : अनुच्छेद ***471***
अनुसूचियाँ ***495***

प्राक्कथन

आईएएस बनने का सपना अपनी आंखों में संजोए 'कई' उम्मीदवारों से आपकी मुलाकात या परिचय हुआ होगा, जो कई वर्षों से इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए तत्पर हैं और उनकी इसके प्रति प्रतिबद्धता भी निरंतर बनी हुई है। हालांकि, 'कई' शब्द इनकी व्याख्या करने के लिए काफी नहीं होगा, क्योंकि इनकी संख्या लाखों में है। लेकिन जब हम प्रतिबद्धता की बात करते हैं, तो हम इसके अर्थ को भलीभांति समझते भी हैं और इसका आदर भी करते हैं। ये युवा पुरुष और महिलाएं इस सपने को पूरा करने के लिए अपने सारे कीमती युवा वर्षों का बलिदान करने के लिए तैयार हैं, जिसके साथ-साथ यह अपनी नींद, आराम और यहां तक कि सामान्य जीवन का त्याग करने को भी तैयार हैं और उनके इस त्याग का केवल एकमात्र लक्ष्य है—**भारतीय प्रशासनिक सेवाएं।**

अफसोस की बात यह है कि अध्ययन के अंतहीन घंटों और नींद से सराबोर नजरों के बावजूद इन उम्मीदवारों की बड़ी संख्या यह सपना पूरा करने से कोसों दूर है। जब हमने यह जानने का प्रयास किया कि '**ऐसा क्यों है**', प्रतिक्रियाएं लगभग समान थीं।

"विषय इतना विशाल था कि पढ़ने के लिए बहुत कुछ था और मैं इसे कभी पूरा नहीं कर सका।."

"मैंने बहुत कुछ पढ़ा लेकिन उसे याद नहीं रख सका।."

"मैंने पढ़ा कुछ और, लेकिन परीक्षा में पूछा कुछ और गया।."

"मैंने पढ़ना जारी रखा लेकिन पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों को हल करने या अभ्यास परीक्षा देने का प्रयास नहीं किया।."

"तैयारी/जानकारी प्राप्त करने के लिए कई स्रोत जैसे कि किताबें, कोचिंग क्लास और इंटरनेट का अनुसरण करना मुश्किल था; आखिर दिन में केवल 24 घंटे होते हैं।"

"मेरी अलमारी बहुत सारी किताबों से भरी हुई थी, लेकिन मैं मुश्किल से कुछ को ही पूरा कर पाया था।."

ऊपर कहे गए सभी कथनों ने हमें स्पष्ट रूप से एक चुनौतीपूर्ण समस्या पेश की, परंतु हमने इसे ना केवल हल करने का प्रयास किया, बल्कि हमने समग्र समाधान पर ध्यान केंद्रित किया, जो थे—विद्वत्ता हासिल करना और सकारात्मक परिणाम प्राप्त करना।

यह इस उद्देश्य के साथ है कि हमने—PrepMate, Cengage India के साथ मिलकर—एक व्यापक शिक्षण मॉडल विकसित किया है जो प्रिंट और डिजिटल माध्यम का संयोजन है ताकि अधिकांश उम्मीदवारों के उपर्युक्त मुद्दों को प्रभावी ढंग से संबोधित किया जा सके।

प्रिंट-डिजिटल मॉडल के बारे में

यह मॉडल यूपीएससी परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए पुस्तकों की एक श्रृंखला प्रदान करता है। निम्नलिखित अनूठी विशेषताओं के कारण यह पुस्तकें अन्य उपलब्ध पुस्तकों से अलग हैं:

- हम एक वैचारिक दृष्टिकोण रखते हैं, सरल भाषा का उपयोग करते हैं, आरेखों के माध्यम से अवधारणाओं की व्याख्या करते हैं, पर्याप्त उदाहरण उद्धृत करते हैं, एक पाठक अनुकूल प्रारूप में प्रासंगिक प्रश्न पूछते हैं—यह सुनिश्चित करने के लिए कि इन पुस्तकों को समयबद्ध तरीके से पढ़ा और समेकित किया जा सके।
- हाल ही के वर्षों में यूपीएससी परीक्षाओं की प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए विषय सामग्री विशेष रूप से बनाई गई है। हमने प्रत्येक अध्याय के पश्चात पिछले वर्षों के प्रश्न (समाधान के साथ) भी शामिल किए हैं।
- प्रत्येक अध्याय के अंत में अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं जो परीक्षा की पूर्ण तैयारी करने के लिए पर्याप्त हैं।
- पुस्तक श्रृंखला में 'उत्तर कैसे लिखना है' के बारे में अतिरिक्त जानकारी भी शामिल है जिससे आपका मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए दृष्टिकोण विकसित होगा। हमने प्रश्नों को हल करके उत्तर लिखने का ढंग समझाया है और 'श्रेष्ठ उत्तर प्रस्तुत करने की शैली' भी सुझाई है।
- हमने एक विशिष्ट विषय पर विद्वत्ता प्राप्त करने के लिए सभी अध्याय-सामग्री को एक पुस्तक में समाहित करने का प्रयास किया है।

आम तौर पर, एक उम्मीदवार एक पुस्तक खरीदता है, लेकिन उसे लेखकों से संपर्क करने का अवसर कभी नहीं मिलता है। हमारा मानना है कि उम्मीदवारों और लेखकों के बीच संपर्क, उम्मीदवारों के विद्वत्ता प्राप्त करने और प्रेरणा के लिए महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि हमने आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए एक एप्लीकेशन और एक वेब पोर्टल विकसित किया है जो आपको आपकी तैयारी के दौरान निरंतर समर्थन प्रदान करता है।

यह इस डिजिटल तत्व के माध्यम से है कि हम निम्नलिखित सेवाएं प्रदान करते हैं:

1. महत्वपूर्ण और कठिन विषयों पर वीडियो
2. उत्तर लेखन अभ्यास
3. दैनिक प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित प्रश्नोत्तरी
4. साक्षात्कार की तैयारी में सहायता
5. नियमित अद्यतन
6. दैनिक सामयिकी मामले
7. मासिक सामयिकी मामलों पर पत्रिका
8. रेडियो समाचार विश्लेषण
9. शैक्षणिक वीडियो
10. पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र और समाधान
11. नि: शुल्क अध्ययन सामग्री

आपके सपने को सफल करने की दिशा में हम आपके साथी बनने के लिए तत्पर हैं।

यदि आपका कोई विशिष्ट प्रश्न या रचनात्मक प्रतिक्रिया है, तो आप हमारे साथ info@prepmate.in पर ई-मेल के माध्यम से साझा कर सकते हैं।

PrepMate

आभार-पूर्ति

"हम जो कुछ भी पाना चाहते हैं वह हम एक साथ काम किए बिना प्राप्त नहीं कर सकते"

PrepMate द्वारा तैयार किया गया पूरा यूपीएससी मॉडल कई वर्षों का, बहुत से लोगों की लगातार उद्भावना और विचारावेश का परिणाम है। हम ईमानदारी से उनके मूल्यवान योगदान का धन्यवाद करते हैं। मैं, PrepMate Edutech का संस्थापक, शुभम सिंगला, आप सभी का इस पूरी परियोजना में मेरे साथ बने रहने के लिए आभारी हूं। रजिंदर पॉल सिंगला, निर्मल सिंगला, रमनिक जिंदल, शरत गुप्ता, सुभाष सिंगला और विजय सिंगला—आपके निरंतर समर्थन और प्रेरणा के लिए धन्यवाद।

हम मनींदर मान, सन्दीप सिंह गढ़ा को भी धन्यवाद देना चाहेंगे जिन्होंने पहली बार इस मॉडल की कल्पना करने में और फिर इस कल्पना को सहक्रियात्मक प्रिंट-डिजिटल मॉडल का प्रारूप देने में हमारी मदद की—बिना आपके हम अपने प्रतिर्स्पधात्मक आधार को विकसित करने में अक्षम रहते।

रणनीति का कार्यान्वयन अक्सर चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है और डिजिटल घटक का विकास हमारी कल्पना की तुलना में काफी कठिन साबित हुआ। लेकिन हमारी तकनीकी टीम हमारे सपनों को सक्षम करने और सर्वोत्तम प्रदर्शन प्रदान करने पर केंद्रित थी और उन्होंने निश्चित रूप से इसे पूरा किया। वेबसाइट और एप्लिकेशन दोनों के परीक्षण के लिए एक विशिष्ट उल्लेख के साथ, हम सुरभि मिश्रा, पार्थ और तनवीर को धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने कठिनाइयों के बावजूद धैर्यपूर्वक और प्रभावी ढंग से अपना कार्य किया।

हमारी ग्राफिक्स डिज़ाइन टीम, संदीप, सुखजिंदर और रोशनी, की सहायता के बिना हमारी वीडियो और पुस्तकें संभव नहीं हो सकतीं थीं, जिन्होंने बनाए गए ऑडियो-विज़ुअल की सर्वश्रेष्ठता को सुनिश्चित करने के लिए अंतहीन रूप से कार्य किया।

यह कहना काफी नहीं होगा कि मौजूदा विषय सामग्री का उद्गम और निरीक्षण तथा अनुपलब्ध विषय सामग्री की उत्पत्ति, इस परियोजना का कितना महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और हमारे अध्ययन मॉडल का मूलभूत आधार हैं। विषय सामग्री योगदानकर्ताओं की हमारी टीम के बिना यह संभव नहीं था: ईशा गुप्ता, शैली जिंदल, गुरदीप कौर, सुरभि मिश्रा, शैफी गर्ग, दीपिका अरोड़ा, सुनील, भूपिंदरजीत सिंह, शांतनु, तनवीर, अनमोल, क्रिती, तान्या, साहिल, सूरज और दिलशाद, जिन्होंने उत्कृष्टता प्राप्त करने के अपने प्रयास में कोई कमी नहीं छोड़ी—आपके महत्वपूर्ण योगदानों को आभारी रूप से स्वीकार किया जाता है।

हम अपने कर्मचारियों, गीता, जितेंद्र, मनोज और पिंकी को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहते हैं, जिन्होंने हमें श्रमशील कार्य का निष्पादन करने में सहायता की, यानी हमारी हस्तलिखित किताबों को टाइप करना- आपके योगदान की ईमानदारी से सराहना की जाती है।

यह अत्यावश्यक है कि हम ईशा गुप्ता, शैली जिंदल, अंजुम दीवान, राजेश गोयल, शिखा शर्मा और रविंदर इंदौरा को उनकी आलोचनात्मक पर रचनात्मक प्रतिक्रिया के लिए तथा विकास प्रक्रिया के दौरान, बाद में की गई त्रुटियों की पहचान तथा सुधार करने के लिए धन्यवाद दें।

हम इस पुस्तक को प्रकाशित करने की प्रक्रिया में Cengage India की पूरी संपादकीय टीम द्वारा पहल और समर्थन को ईमानदारी से स्वीकार करते हैं।

"अकेले हम कितना कम हासिल कर सकते हैं, साथ में कितना ज्यादा..."

PrepMate

वीडियो-सूची

1.	भारतीय राजव्यवस्था के लिए कैसे तैयारी करें
2.	प्रस्तावना
3.	मौलिक अधिकार
4.	राष्ट्रपति का चुनाव
5.	विधेयक पारित करने की प्रक्रिया
6.	संसदीय समितियां
7.	आपातकालीन प्रावधान
8.	बहुमत के प्रकार
9.	विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्ति
10.	विभिन्न संवैधानिक पदों से निष्कासन

पिछले वर्षों के प्रश्नों का अध्याय अनुसार विश्लेषण

अध्याय	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	कुल
1. संविधान का निर्माण						1								1
2. संविधान की प्रस्तावना		3												3
3. भाग I संघ और इसके क्षेत्र		1												1
4. भाग II नागरिकता														0
5. भाग III मौलिक अधिकार	3	3			1								1	8
6. भाग IV राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांत		1		2	1	2	1		1		1			9
7. भाग IVक मौलिक कर्तव्य		2		1			1	1						5
8. भाग V संघ	5	6	2	5	5	7	11	4	2	3		1	1	52
9. भाग VI राज्य			1	1	1	1	1				2	1	2	10
10. भाग VIII केंद्र शासित प्रदेश														0
11. भाग IX पंचायत		1	1	1				1	1	1				6

Contd.

12. भाग IXक नगरपालिका								1						1
13. भाग IXख सहकारी समितियां														0
14. भाग X अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र														0
15. भाग XI संघ और राज्यों के बीच संबंध						1								1
16. भाग XII वित्त,संपत्ति,संविदाएं और वाद	1							1	1					3
17. भाग XIII भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर व्यापार, वाणिज्य और समागम														0
18. भाग XIV संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं														0
19. भाग XIVक अधिकरण										1				1
20. भाग XV निर्वाचन							1						1	2
21. भाग XVI कुछ वर्गों से संबंधित विशेष उपबंध														0
22. भाग XVII राजभाषा														0

Contd.

23. भाग XVIII आपात उपबंध	1	1										1		3
24. भाग XIX प्रकीर्ण	1													1
25. भाग XX संविधान का संशोधन		1								1	1	1		4
26. भाग XXI अस्थायी, परिवर्ती और विशेष प्रावधान														0
27. भाग XXII संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, प्राधिकृत पाठ														0
28. अनुसूचियां				1	1		1				1		1	5
29. विविध विषय														
30. वैधानिक, विनियामक और अर्ध-न्यायिक निकाय				1										1
31. नागरिक घोषणापत्र														0
32. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005														0
33. भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसियां														0
34. सचिवालय			1	1	1									3
35. चुनाव कानून		3												3
कुल	11	22	5	13	10	12	16	8	5	6	5	4	6	123

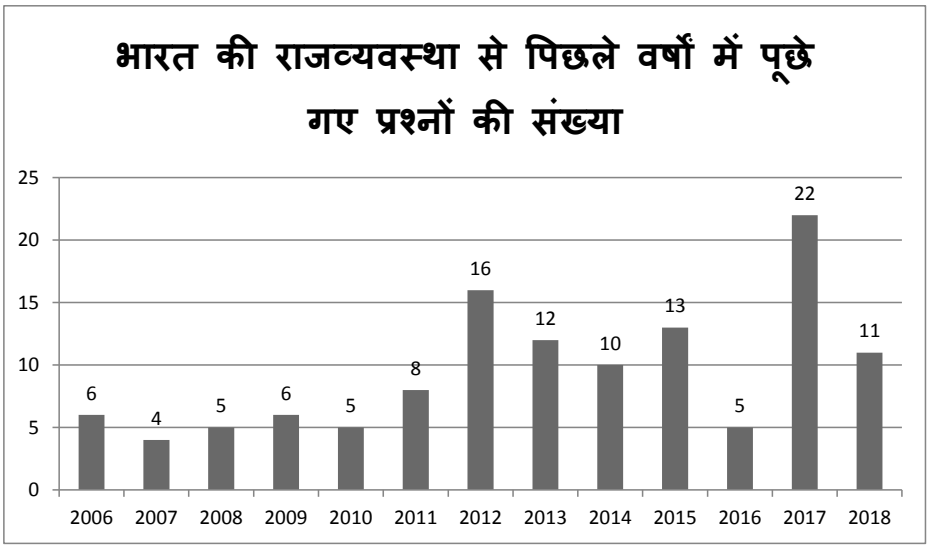
भारत की राजव्यवस्था से पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्नों की संख्या
25
20
15
10
5
0
6
4
5
6
5
8
16
12
10
13
5
22
11
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

अध्याय

5

भाग III मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 12–35)

मौलिक अधिकारों को संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है। हम यह समझ सकते हैं कि मौलिक अधिकार वह अधिकार हैं जो 'जीवन की न्यूनतम गुणवत्ता के अभाव की पूर्ति करने के लिए जरूरी' हैं।

मौलिक अधिकार राज्य की शक्ति को सीमित करते हैं और कुछ मामलों में निजी व्यक्तियों के व्यवहार पर भी रोक लगाते हैं। इस प्रकार, 'राज्य' को परिभाषित करना महत्त्वपूर्ण है। राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 के तहत प्रदान की गई है।

अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा

राज्य की परिभाषा (मौलिक अधिकारों के उद्देश्य के लिए): राज्य की परिभाषा में निम्नलिखित शामिल हैं:

1. संघ के कार्यकारी और विधायी अंग
2. राज्यों के कार्यकारी और विधायी अंग
3. स्थानीय निकाय जैसे पंचायत, नगर निगम, सुधार ट्रस्ट, प्रदूषण बोर्ड आदि।
4. सरकारी निगम और कंपनियां

अनुच्छेद 13 साधारण कानून मौलिक अधिकारों के संघर्ष में

पूर्व संवैधानिक या उत्तर संवैधानिक साधारण कानूनों के माध्यम से मौलिक अधिकारों का दायरा कम करने के किसी भी प्रयास को रोकने के लिए, इस अनुच्छेद को संविधान में शामिल किया गया है।

अनुच्छेद 13(1)

यह अनुच्छेद पूर्व-संवैधानिक कानूनों से संबंधित है। कोई भी कानून जो कि संविधान के प्रारंभ से पहले पारित किया गया हो और जो किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है, वह उल्लंघन की सीमा तक शून्य या मृत है।

अनुच्छेद 13(2)

यह अनुच्छेद उत्तर संवैधानिक कानूनों से संबंधित है। कोई भी कानून जो कि संविधान के प्रारंभ के बाद पारित किया गया हो और जो किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है, वह उल्लंघन की सीमा तक शून्य या मृत है।

सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 13 के तहत आच्छादन का सिद्धांत (Doctrine of Eclipse) लागू किया है। आच्छादन के सिद्धांत (Doctrine of Eclipse) के अनुसार, एक कानून जो मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है, वह एक निष्क्रिय या सोया हुआ कानून है, लेकिन मृत कानून नहीं है। जब मौलिक अधिकार और कानून के बीच, संविधान में संशोधन या कानून में परिवर्तन करके, असंगतता का समाधान हो जाता है तो कानून सक्रिय हो जाता है।

आच्छादन के सिद्धांत का निहितार्थ (Implication of Doctrine of Eclipse)

आच्छादन के सिद्धांत के कारण, जो कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, वे तब तक निष्क्रिय रहते हैं, जब तक कि वे उल्लंघन में होते हैं। एक बार उल्लंघन का समाधान हो जाने पर, कानून सक्रिय हो जाता है।

दूसरी ओर, यदि आच्छादन का सिद्धांत लागू नहीं होता, तो कानून जो मौलिक अधिकारों से असंगत हैं; वह मृत हो जाता और अगर कानून और मौलिक अधिकार के बीच असंगति बाद में हल हो जाती है, तो भी कानून मृत ही रहता है।

मौलिक अधिकारों का वर्गीकरण (Classification of Fundamental Rights)

मौलिक अधिकार को छह श्रेणियों में बाँटा गया है:

1. समता का अधिकार (Right to Equality) (अनुच्छेद 14–18)
2. स्वतंत्रता का अधिकार (Right to Freedom) (अनुच्छेद 19–22)
3. शोषण के विरुद्ध अधिकार (Right Against Exploitation) (अनुच्छेद 23–24)
4. धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार (Right to Freedom of Religion) (अनुच्छेद 25–28)
5. अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार (Cultural and Educational Rights of Minorities) (अनुच्छेद 29–30)
5. संवैधानिक उपचार का अधिकार (Right to Constitutional Remedies) (अनुच्छेद 32)

अनुच्छेद 14-18 समता का अधिकार (Right to Equality)

अनुच्छेद 14

राज्य किसी भी व्यक्ति को इंकार नहीं करेगा:

I. कानून के समक्ष समानता (Equality before Law)
II. कानून से समान सुरक्षा (Equal Protection of Laws)

कानून के समक्ष समानता (Equality before law): यह व्यक्ति को कानून के आवेदन में विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति को संदर्भित करता है। समाज में किसी व्यक्ति के पद या प्रतिष्ठा के बावजूद कानून समान तरीके से सभी पर लागू होता है।

कानून के समक्ष समानता एक नकारात्मक अवधारणा है क्योंकि यह किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त विशेषाधिकारों या प्रतिष्ठा की उपेक्षा करता है। हालांकि, कानून के समक्ष समानता के सिद्धांत के कुछ अपवाद (exceptions) हैं। यह अपवाद संविधान के अनुच्छेद 361 के तहत दिए गए हैं:

1. राष्ट्रपति या राज्यपाल अपनी कार्यकारी शक्तियों के प्रयोग के लिए न्यायालय में उत्तरदायी नहीं हैं।
2. यह अपवाद इसलिए दिया गया है क्योंकि राष्ट्रपति या राज्यपाल मंत्रिपरिषद् की सलाह पर कार्य करते हैं। इसलिए, उन्हें गलत कार्य के लिए उत्तरदाई नहीं ठहराया जा सकता।
3. जब तक राष्ट्रपति या राज्यपाल कार्यालय में हैं, तब तक उनके खिलाफ कोई आपराधिक कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती। राष्ट्रपति या राज्यपाल के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही उन पर दबाव पैदा करेगी और उनकी कार्यप्रणाली में बाधा डालती है। इस प्रकार, कार्यालय से हटाने के बाद राष्ट्रपति या राज्यपाल के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू की जाती है।
4. दो महीने का पूर्व नोटिस दिए बिना राष्ट्रपति या राज्यपाल के खिलाफ कोई भी सिविल कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती है।

राष्ट्रपति या राज्यपाल के खिलाफ सिविल कार्यवाही भी उन पर दबाव पैदा कर सकती है और उनके कामकाज में बाधा डाल सकती है। इस प्रकार, सिविल कार्यवाही का सामना करने के लिए, पर्याप्त तैयारी के लिए, दो महीने का समय दिया जाता है।

संविधान के बाहर के अपवाद (Exception given outside Constitution): विदेशी राजनयिकों पर आमतौर पर उनके मूल राष्ट्रों के कानून लागू होते हैं, न कि उन राष्ट्रों के कानून, जहां उन्हें पदस्थापित किया जाता है।

कानून से समान सुरक्षा (Equal Protection of Laws)

यह प्रत्येक व्यक्ति को 'समान परिस्थितियों में बराबर सुरक्षा' का संदर्भ देता है। हालांकि, प्रतिकूल परिस्थितियों की क्षतिपूर्ति करने के लिए व्यक्ति को अतिरिक्त सुरक्षा दी जा सकती है। प्रतिकूल परिस्थितियों की क्षतिपूर्ति करने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा को 'सकारात्मक भेदभाव' कहा जाता है और यह आरक्षण नीति का आधार बनता है।

कानून की समान सुरक्षा एक सकारात्मक अवधारणा है क्योंकि यह राज्य की ओर से एक प्रतिज्ञान है कि प्रत्येक व्यक्ति को राज्य से सुरक्षा मिलेगी।

कानून का शासन (Rule of Law)

कानून का शासन अर्थात् कानून के अनुसार देश के प्रशासन को चलाना। पुराने जमाने में, राजाओं का शासन होता था; परंतु गणतंत्रता में, कानून का शासन है।

अनुच्छेद 15 नागरिकों को राज्य और अन्य व्यक्तियों द्वारा भेदभाव से बचाता है।

अनुच्छेद 15 (1) यह केवल धर्म, जाति, प्रजाति, लिंग, जन्म स्थान या उनमें से किसी भी आधार पर राज्य को नागरिक के साथ भेदभाव करने से निषिद्ध करता है।

'केवल' शब्द का सुझाव है कि उपर्युक्त आधार भेदभाव का एकमात्र आधार नहीं हो सकता है, लेकिन वे भेदभाव के अतिरिक्त आधार हो सकते हैं।

उदाहरण के लिए, सेना में भर्ती के दौरान, पुरुषों को वरीयता (Preference) प्राप्त है क्योंकि पुरुषों की महिलाओं की तुलना में अधिक शारीरिक शक्ति होती है। इस प्रकार, इस मामले में, लिंग, भेदभाव का अतिरिक्त आधार है,

जबकि भेदभाव का प्राथमिक आधार शारीरिक शक्ति है। इसलिए, सेना में नियुक्ति के समय पुरुषों को वरीयता अनुच्छेद 15 का उल्लंघन नहीं करती है।

अनुच्छेद 15 (2) धर्म, जाति, प्रजाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी भी आधार पर राज्य या निजी व्यक्ति को नागरिक के साथ भेदभाव करने से और नागरिक के सार्वजनिक स्थानों में प्रवेश करने पर बाधा लगाने से निषिद्ध करता है, जैसे कि—

1. सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश
2. सार्वजनिक कुओं, तालाबों, स्नानघाटों और सड़कों के उपयोग

अनुच्छेद 15(1) और अनुच्छेद 15(2) के अपवाद (Exceptions)

अनुच्छेद 15 (3) यह राज्य को महिलाओं और बच्चों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रावधान का अधिकार देता है। उदाहरण के लिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है।

अनुच्छेद 15 (4) यह राज्य को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और समाज के अन्य सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए विशेष बनाने का अधिकार देता है।

अनुच्छेद 15 (5) यह 93वें संशोधन अधिनियम द्वारा लागू किया गया था। यह राज्य को निजी गैर-अनुदानित शैक्षणिक संस्थानों (private unaided educational institutions) में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के नागरिकों के आरक्षण प्रदान करने के लिए अधिकृत करता है। दूसरे शब्दों में, यह खंड (clause) निजी गैर-अनुदानित शैक्षणिक संस्थानों में भी सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के नागरिकों के आरक्षण की अनुमति देता है।

अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार के मामलों में राज्य द्वारा भेदभाव से नागरिकों की रक्षा करता है।

अनुच्छेद 16 (1) सभी नागरिकों को सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता की गारंटी देता है।

अनुच्छेद 16 (2) यह केवल धर्म, जाति, प्रजाति, लिंग, जन्म स्थान, मूलवंश और निवास या इनमें से किसी भी आधार पर राज्य को सार्वजनिक रोजगार के लिए नागरिक के साथ भेदभाव करने से निषिद्ध करता है।

अनुच्छेद 16(2) में दो अतिरिक्त आधार, अनुच्छेद 15(1) और अनुच्छेद 15 (2) में उल्लेखित आधार को छोड़कर, 'मूलवंश' और 'निवास' को जोड़ा गया है।

अनुच्छेद 16(1) और अनुच्छेद 16(2) के अपवाद (Exceptions)

अनुच्छेद 16 (3) यह संसद को अधिकार प्रदान करता है कि संसद कानून द्वारा राज्य में निवास सार्वजनिक रोजगार के लिए एक आधार बना सकती है।

संसद राज्य में निवास, राज्य से जुड़े सार्वजनिक रोजगार के लिए, आधार इसलिए बनाती है ताकि किसी क्षेत्र की गरीब सामाजिक और आर्थिक स्थितियों को संबोधित कर सकें, अर्थात् जब एक क्षेत्र के लोगों को लाभकारी रोजगार में संलग्न होने का अवसर नहीं मिलता है।

उदाहरण के लिए, संसद ने यह सुनिश्चित किया है कि जम्मू और कश्मीर की सरकारी नौकरियों के लिए केवल जम्मू और कश्मीर के लोग योग्य हैं।

अनुच्छेद 16 (4) यह राज्य को पिछड़े वर्गों के लिए सार्वजनिक रोजगार में आरक्षण देने के लिए अधिकृत करता है, जिन पिछड़े वर्गों को सार्वजनिक रोजगार में पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व नहीं मिला है।

इस प्रकार, दो मानदंडों को पूरा करने पर आरक्षण दिया जाता है:

1. समाज के वर्ग का सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ापन
2. सार्वजनिक रोजगार में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व

इसके अलावा, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया है कि आरक्षण की कुल सीटें 50% से अधिक नहीं हो सकती।

आरक्षण सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन के आधार पर प्रदान किया जाता है, न कि आर्थिक मानदंडों पर। केवल नवोन्नत वर्ग (creamy layer) की पहचान आर्थिक मानदंडों के आधार पर की जाती है, जैसे कि वेतन और संपत्ति । अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बीच नवोन्नत वर्ग (creamy layer) की पहचान नहीं की जाती है। केवल अन्य पिछड़े वर्गों (Other Backward Castes) में ही नवोन्नत वर्ग की पहचान की गई है। अन्य पिछड़े वर्गों में नवोन्नत वर्ग (creamy layer) आरक्षण के लाभ से वंचित है।

अनुच्छेद 16 (4क) यह 77वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। यह राज्य को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों (OBC नहीं) के लिए पदोन्नति (Promotion) में आरक्षण देने का अधिकार देता है।
पदोन्नति में आरक्षण इसलिए दिया जाता है क्योंकि ऊपरी स्तर के प्रशासन में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला हुआ है। ऊपरी स्तर के प्रशासन में प्रतिनिधित्व महत्त्वपूर्ण है क्योंकि ऊपरी स्तर प्रशासन नीतियों को बनाने के लिए ज़िम्मेदार है।

अनुच्छेद 16 (4ख) यह 81वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। यह आरक्षित सीटों को अगले वर्षों में लेकर जाने की अनुमति देता है (जो पिछले वर्षों में नहीं भरी गई हैं), भले ही किसी वर्ष में आरक्षण की कुल सीटें 50 प्रतिशत से अधिक हो जाए।

अनुच्छेद 16 (5) धर्म को धार्मिक संस्थानों से जुड़े सार्वजनिक रोजगार के लिए एक आधार बनाया जा सकता है। उदाहरण के लिए, मंदिर के प्रशासन को चलाने के लिए केवल हिंदुओं को आमंत्रित किया जा सकता है।

अनुच्छेद 17 यह अस्पृश्यता के सभी रूपों पर रोक लगाता है। अस्पृश्यता दंडनीय अपराध है।

अनुच्छेद 17 में कोई अपवाद नहीं है। यह बिना किसी अपवाद के एकमात्र मौलिक अधिकार है।

अस्पृश्यता के विभिन्न रूप हो सकते हैं-

1. पीने और खाने के पात्रों का वियोजन।
2. एक सार्वजनिक स्रोत से पानी लाने पर प्रतिबंध।
3. बैठने की व्यवस्था में वियोजन।
4. मंदिरों, आदि में प्रवेश पर प्रतिबंध।

संसद ने नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1976 पास किया है, जो अस्पृश्यता के अभ्यास के लिए सख्त सजा प्रदान करता है।

अनुच्छेद 18 उपाधियों का उन्मूलन (Abolition of Titles)

अनुच्छेद 18 (1) यह राज्य को उपाधियां प्रदान करने से रोकता है (सैन्य या शैक्षणिक विभेदों को छोड़कर)। हालांकि, राज्य विभिन्न क्षेत्रों में योगदान को पुरस्कृत कर सकता है।

अनुच्छेद 18 (2) यह भारतीय नागरिकों को विदेशी राज्य से किसी भी उपाधि को स्वीकार करने से रोकता है।

अनुच्छेद 18 (3) यह उन विदेशी नागरिकों को प्रतिबंधित करता है जो राज्य की सेवा में हैं। ऐसे विदेशी नागरिक भारत सरकार की अनुमति के बिना किसी भी देश से कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं कर सकते।

अनुच्छेद 19-22 स्वतंत्रता का अधिकार (Right to Freedom)

अनुच्छेद 19 यह केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है। यह भारत के नागरिकों को छह स्वतंत्रता प्रदान करता है।

अनुच्छेद 19 (1)(क) वाक् स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य का अधिकार (Right to Freedom of Speech and Expression)

यह अनुच्छेद मौखिक माध्यमों/लिखित साधनों/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया/प्रसारण/प्रेस आदि के माध्यम से किसी भी भय के बिना खुले आम और स्वतंत्र रूप से विचार व्यक्त करने का अधिकार प्रदान करता है। आधुनिक समय में, इसमें ब्लॉग और वेबसाइट भी शामिल हैं।

प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार भी **वाक् स्वातंत्र्य** और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य के अधिकार से अंतर्निहित है।

वाक् स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य के अधिकार विभिन्न सीमाओं के अधीन हैं-

1. राज्य की संप्रभुता और अखंडता
2. राज्य की सुरक्षा
3. विदेशी राज्यों के साथ मिलनसार संबंध
4. लोक व्यवस्था
5. नैतिकता या सभ्यता
6. न्यायालय की मानहानि
7. बदनामी
8. अपराध के लिए उत्तेजना

अनुच्छेद 19 (1)(ख) शांतिपूर्वक और बिना हथियार सम्मेलन की स्वतंत्रता का अधिकार (Right to freedom of assembly peacefully and without arms) प्रदान करता है। यह अधिकार भारत की संप्रभुता और अखंडता और नैतिकता के अधीन है।

अनुच्छेद 19 (1) (ग) संगम, संघ या सहकारी समिति का गठन करने का अधिकार (Right to form association, union or co-operative society) प्रदान करता है। यह अधिकार नैतिकता, सभ्यता और लोक व्यवस्था के अधीन है।

धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक या सांस्कृतिक उद्देश्य के लिए इस तरह के संघ एवं संगम का गठन किया जा सकता है।

97वें संशोधन अधिनियम द्वारा सहकारी समितियों के गठन का अधिकार अनुच्छेद 19(1)(ग) में शामिल किया गया है।

अनुच्छेद 19 (1) (घ) भारत के किसी भी क्षेत्र में संचार की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। यह अधिकार अनुसूचित जनजातियों और आम जनता के हितों के अधीन है।

अनुच्छेद 19 (1) (ङ) भारत के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। यह अधिकार अनुसूचित जनजातियों और आम जनता के हितों के अधीन है।

अनुच्छेद 19(1) (च) यह अनुच्छेद 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा हटा दिया गया था और इसे अनुच्छेद 300 क के तहत डाला गया है।

इस संशोधन से पहले, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था। इसलिए, इस अधिकार के उल्लंघन पर नागरिक सीधे सर्वोच्च न्यायालय में याचना कर सकते थे।

हालांकि, 44वें संवैधानिक संशोधन के पारित होने के बाद, संपत्ति का अधिकार अब एक मौलिक अधिकार नहीं है। अब किसी व्यक्ति के संपत्ति के अधिकार के उल्लंघन पर सामान्य न्यायिक प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है।

अनुच्छेद 19(1) (छ) किसी भी पेशे, व्यवसाय, उद्योग या व्यापार करने का अधिकार देता है। यह अधिकार सामान्य जनता के हित के अधीन है।

इसके अलावा, राज्य किसी व्यवसाय, कारोबार, आदि में प्रवेश के लिए आवश्यक तकनीकी या शैक्षिक योग्यता निर्धारित कर सकता है।

राज्य जनता के हित में आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से किसी व्यवसाय का अधिग्रहण कर सकता है।

अनुच्छेद 20 यह अपराध स्थापन के संबंध में सुरक्षा प्रदान करता है। यह आपराधिक मामलों में तीन प्रकार की सुरक्षा प्रदान करता है।

अनुच्छेद 20(1) यह राज्य को पूर्वव्यापी (Ex Post Facto) आपराधिक कानून (क्रिमिनल कानून) बनाने के लिए प्रतिबंधित करता है। दूसरे शब्दों में, आपराधिक कानून पूर्व प्रभाव (retrospective effect) से लागू नहीं किए जा सकते। हालांकि, नागरिक कानून (सिविल कानून) पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ भी लागू किया जा सकता है।

आपराधिक कानूनों का उल्लंघन करने पर अक्सर जेल जाना पड़ता है। दूसरी ओर, नागरिक कानूनों का उल्लंघन करने पर जुर्माना और/या मुआवजा देना पड़ता है।

अनुच्छेद 20(2) एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार व्यक्ति को दंडित करने से अदालतों को प्रतिबंधित करता है। दूसरे शब्दों में, एक अपराध के लिए दो बार दंडित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 20(2) केवल अदालतों को प्रतिबंधित करता है।

परंतु, ऐसा हो सकता है कि सरकारी कर्मचारी का विभाग उसे बर्खास्त कर दे और अदालत उसे इसके अलावा कोई और सजा भी दे सकती है।

अनुच्छेद 20(3) राज्य व्यक्ति को स्वयं अपराधी साक्ष्य के लिए मजबूर नहीं कर सकता। दूसरे शब्दों में, किसी व्यक्ति को किसी भी आपराधिक मामले में खुद के खिलाफ गवाह होने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा।
एक व्यक्ति स्वेच्छा से अपराध के बारे में राज्य को जानकारी दे सकता है या राज्य जांच कर सकता है।

अनुच्छेद 21 यह अनुच्छेद सभी व्यक्तियों को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। किसी भी व्यक्ति का जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता केवल कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार लिया जा सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय ने 2 तरीकों से अनुच्छेद 21 में दिए गए अधिकार का विस्तार किया है:

1. सर्वोच्च न्यायालय ने 'कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया (procedure established by law) ' को 'कानून की उचित प्रक्रिया (due process of law)' के रूप में परिभाषित किया है। 'कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया' के तहत,

सर्वोच्च न्यायालय समीक्षा कर सकता है कि कार्यकारी कार्य कानून के अनुसार है या नहीं। 'कानून की उचित प्रक्रिया' के तहत, सर्वोच्च न्यायालय न केवल कार्यकारी कार्य की समीक्षा कर सकता है, बल्कि संसद द्वारा पारित कानून की भी समीक्षा कर सकता है।

2. सर्वोच्च न्यायालय ने व्यापक रूप में जीवन के अधिकार को 'सम्मानजनक जीवन का अधिकार' बताया है। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार, सम्मानित जीवन के अधिकार के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, निजता का अधिकार, अवकाश का अधिकार, रोजगार से अनुशासनात्मक बर्खास्त के खिलाफ अधिकार, मजदूरी का अधिकार, आश्रय का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार आदि शामिल हैं।

अनुच्छेद 21 सभी मौलिक अधिकारों में सबसे अधिक मौलिक माना जाता है क्योंकि यह जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को निश्चित करता है।

अनुच्छेद 21क 86वें संशोधन अधिनियम, 2002 द्वारा प्रस्तुत किया गया था। राज्य 6 से 14 वर्ष की उम्र के सभी बच्चों को नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा।

86वें संशोधन अधिनियम, 2002 ने अनुच्छेद 51क (ट) के तहत एक नया मौलिक कर्त्तव्य भी शामिल किया है जो अनुशंसित करता है कि यह माता-पिता और संरक्षक का कर्त्तव्य है कि वह बच्चों और वार्डों (संरक्षण में रहनेवाला नाबालिग़) को शिक्षा का अवसर प्रदान करें।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009, अनुच्छेद 21क को लागू करने के लिए पारित किया गया है।

अनुच्छेद 22 यह मनमाने ढंग से की गई गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है।

अनुच्छेद 22 (1) गिरफ्तार किए गए किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार के बारे में सूचित किए बिना हिरासत में नहीं रखा जाएगा।

हर गिरफ्तार व्यक्ति को अपनी मर्जी के कानूनी व्यवसायी से परामर्श करने और प्रतिरक्षा कराने का अधिकार दिया गया है।

अनुच्छेद 22 (2) प्रत्येक व्यक्ति को, जो गिरफ्तार किया गया है और हिरासत में रखा गया है, गिरफ्तारी से 24 घंटे की अवधि में निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा। इस 24 घंटे की अवधि में गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक यात्रा के लिए आवश्यक समय और बीच की छुट्टियों की गिनती नहीं की जाएगी।

24 घंटे की अवधि के बाद, ऐसे किसी व्यक्ति को हिरासत में केवल मजिस्ट्रेट की मंजूरी पर ही रखा जाएगा।

अनुच्छेद 22(1) और अनुच्छेद 22(2) के अपवाद (Exceptions)

अनुच्छेद 22 (1) और 22 (2) के तहत उपलब्ध सुरक्षा निवारक निरोध कानून (Preventive Detention law) के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति या एक गिरफ्तार विदेशी दुश्मन पर लागू नहीं होता है।

निवारक निरोध अर्थात किसी व्यक्ति को अपराध में शामिल होने से पहले हिरासत में ले लिया जाना है। निवारक निरोध का उद्देश्य व्यक्ति को अपराध में शामिल होने से रोकना है।

एक विदेशी दुश्मन, विदेशी राष्ट्र की ओर से हमारे राष्ट्रीय हितों के खिलाफ कार्य करने वाले व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है।।

अनुच्छेद 23-24 शोषण के विरुद्ध अधिकार (Right Against Exploitation)

अनुच्छेद 23 मनुष्यों में तस्करी, बेगारी और जबरन मज़दूरी पर निषेध।

अनुच्छेद 23 (1) मनुष्यों में तस्करी, बेगारी, और जबरन मज़दूरी के अन्य रूप निषिद्ध हैं और कानून द्वारा दंडनीय हैं।

- 'तस्करी' का अर्थ है—गुलामी या अनैतिक गतिविधियों के लिए मनुष्यों का व्यापार।
- 'बेगारी' का अर्थ है—भुगतान के साथ या भुगतान के बिना जबरन मज़दूरी करवाना।

अनुच्छेद 23(1) के अपवाद (Exceptions)

अनुच्छेद 23(2) राज्य व्यक्तियों को भुगतान के साथ या भुगतान के बिना सामान्य लोगों के हित में अनिवार्य सेवाएं प्रदान करने के लिए मजबूर कर सकता है।

इसके अलावा, अनिवार्य सेवा के लिए व्यक्ति को मजबूर करते हुए जाति, वर्ग, धर्म, लिंग, या इनमें से किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा।

उपर्युक्त आधार में निवास शामिल नहीं है।

उदाहरण के लिए, किसी विशेष क्षेत्र में बाढ़ के दौरान, राज्य अनिवार्य सेवा के लिए बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लोगों को मजबूर कर सकता है। अर्थात्, राज्य निवास के आधार पर भेदभाव कर सकता है।

अनुच्छेद 24 चौदह वर्ष से कम आयु के किसी बालक को जोखिम वाले व्यवसाय में नहीं लगाया जाएगा।

अनुच्छेद 24 को प्रभावी करने के लिए संसद ने बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 लागू किया है।

Article 25-28 धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार (Right to Freedom of Religion)

अनुच्छेद 25

सभी व्यक्तियों को धर्म की दोहरी स्वतंत्रता का अधिकार है:

1. धर्म के बारे में सोच (धर्म से जुड़ी आंतरिक स्वतंत्रता)।
2. धर्म के पालन, आचरण और प्रचार के लिए स्वतंत्रता (धर्म से जुड़ी बाहरी स्वतंत्रता)

यह अधिकार लोक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य और भाग III के अन्य प्रावधानों के अधीन उपलब्ध है।

- **धर्म को अबाध रूप से पालन करने का अधिकार (Right to Practice):** अनुष्ठानों का पालन करने और दैनिक जीवन में धर्म के संकेत और प्रतीकों का प्रदर्शन।
- **धर्म के आचरण का अधिकार (Right to Profess):** किसी के धर्म के बारे में खुले तौर पर और स्वतंत्र रूप से विचार व्यक्त करने का अधिकार।
- **धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता (Right to Propagate):** दूसरों के धर्म रूपांतरण के लिए धर्म को बढ़ावा देने का अधिकार।

अनुच्छेद 26

यह धार्मिक समूहों या संप्रदायों को निम्नलिखित अधिकार देता है:

1. धार्मिक समूह या संप्रदाय धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थानों को स्थापित और उनके रख-रखाव कर सकते हैं।
2. इन संस्थाओं को अपने धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता है।
3. ये संस्थान चल या अचल संपत्ति का अधिग्रहण कर सकते हैं और कानून के अनुसार ऐसी संपत्ति का उपयोग कर सकते हैं।

यह अधिकार भी लोक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य और भाग III में शामिल अन्य प्रावधानों के अधीन है।

अनुच्छेद 27 यह राज्य को एक विशेष धर्म को बढ़ावा देने के लिए करों का संग्रह करने से रोकता है। हालांकि, राज्य सभी धर्मों के प्रचार के लिए कर एकत्र कर सकता है। यह अनुच्छेद भारतीय राज्य की धर्मनिरपेक्ष प्रकृति को दर्शाता है, अर्थात्, भारतीय राज्य सभी धर्मों के प्रति तटस्थ है क्योंकि भारतीय राज्य सभी धर्मों के प्रचार के लिए कर से प्राप्त आय का इस्तेमाल करता है। जैसा कि भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष है, राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं है।

अनुच्छेद 28 यह धार्मिक निर्देशों में भाग लेने से स्वतंत्रता प्रदान करता है।

अनुच्छेद 28 (1) राज्य द्वारा पूरी तरह से चलाया जाने वाला कोई भी शैक्षिक संस्थान धार्मिक निर्देश प्रदान नहीं करेगा।

'पूरी तरह से चलाया जाने वाला' का अर्थ है कि शिक्षा संस्थान का संपूर्ण खर्च सरकार द्वारा उठाया जाता है। उदाहरण के लिए, सरकारी स्कूल पूरी तरह से राज्य के खर्च पर निर्भर होते हैं।

अनुच्छेद 28 (2) अनुच्छेद 28(1) के बावजूद, धार्मिक ट्रस्ट के तहत स्थापित और राज्य निधि द्वारा चलाया जाने वाला कोई भी शैक्षणिक संस्थान धार्मिक निर्देश दे सकता है।

अनुच्छेद 28 (3) राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त या राज्य से सहायता प्राप्त करने वाला कोई भी शैक्षिक संस्थान बच्चे की सहमति के बिना धार्मिक निर्देश प्रदान नहीं करेगा। यदि बच्चा नाबालिग है, तो उसके माता-पिता की सहमति आवश्यक है।

'राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त' का अर्थ है कि किसी केंद्रीय या राज्य बोर्ड के अंतर्गत शैक्षिक संस्थान पंजीकृत है। इस प्रकार, शैक्षिक संस्थान द्वारा प्रदान की जाने वाली डिग्री अन्य शैक्षिक संस्थानों द्वारा मान्यता प्राप्त करती है। अगर एक शैक्षिक संस्थान बोर्ड के तहत पंजीकृत है, तो उसे बोर्ड द्वारा निर्धारित मानक पाठ्यक्रम का अनिवार्य रूप से पालन करना होता है।

अनुच्छेद 29-30 अल्पसंख्यकों के संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार (Cultural and Educational Rights of Minorities)

अनुच्छेद 29 यह अनुच्छेद अल्पसंख्यक-वर्गों के हितों का संरक्षण करता है।

अनुच्छेद 29 (1) भारत में रहने वाले किसी भी नागरिक वर्ग को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार है।

अनुच्छेद 29 (2) राज्य द्वारा पोषित या राज्य-निधि से सहायता पाने वाली कोई भी शिक्षा संस्था में दाखिले से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा।

अनुच्छेद 30 शैक्षिक संस्थानों की स्थापना और उनके प्रशासन के लिए अल्पसंख्यकों का अधिकार।

अनुच्छेद 30 (1) यह अल्पसंख्यक समुदायों को अपनी संस्कृति के संरक्षण के लिए शैक्षिक संस्थानों की स्थापना और उनके प्रशासन करने का अधिकार प्रदान करता है।

अनुच्छेद 30 (1क) यह अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों को एक मौलिक अधिकार के रूप में संपत्ति का अधिकार प्रदान करता है।

केवल अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान मौलिक अधिकार के रूप में संपत्ति पर अधिकार का आनंद लेते हैं। अनुच्छेद 19(1)(च) को निरस्त करने से पहले संपत्ति के हर मालिक के लिए मौलिक अधिकार के रूप में संपत्ति का अधिकार उपलब्ध था।

अनुच्छेद 30 (2) शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी शिक्षा संस्था के विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक-वर्ग के प्रबंध में है।

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि अनुच्छेद 29 और 30 के अनुसार, केवल भाषा और धर्म के आधार पर अल्पसंख्यकों को मान्यता दी गई है।।

अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार (Right to Constitutional Remedies)

अनुच्छेद 32 यह मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर संवैधानिक उपाय प्रदान करता है।

इस प्रकार, अनुच्छेद 32 एक ऐसा तंत्र प्रदान करता है जिसे किसी व्यक्ति द्वारा अपने मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए अपनाया जा सकता है। अनुच्छेद 32 की अनुपस्थिति में, अन्य अधिकारों का बिना किसी डर के आसानी से उल्लंघन किया जा सकता है। इसलिए, अनुच्छेद 32 का अस्तित्व अन्य मौलिक अधिकारों की मौजूदगी की गारंटी देता है।

डॉ बी.आर.अंबेडकर, भारतीय संविधान के पिता, ने अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान के हृदय और आत्मा के रूप में मान्यता दी है।

अनुच्छेद 32(1) मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामले में, एक पीड़ित व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय में जा सकता है और मौलिक अधिकारों को लागू करना सर्वोच्च न्यायालय का कर्त्तव्य है।

अनुच्छेद 32(2) मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय, उचित रिट जैसे कि बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus), परमादेश (Mandamus), निषेध (Prohibition), उत्प्रेषण-लेख (Certiorari), अधिकार-पृच्छा (Quo Warranto) इत्यादि जारी कर सकता है।

रिट क्या है (What is a writ)?

रिट एक सरकारी संस्था द्वारा जारी एक औपचारिक लिखित आदेश है और यह संस्था अधिकांशत: एक न्यायालय होता है।

मुख्य रूप से पाँच बुनियादी प्रकार के रिट हैं:

1. **बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus):** इसका शाब्दिक अर्थ 'बंदी को प्रस्तुत करना' है। इसे किसी ऐसे व्यक्ति की आजादी को सुरक्षित करने के लिए जारी किया जाता है, जिसे अवैध रूप से हिरासत में लिया गया है। इसे हिरासत में लिया गए व्यक्ति की ओर से किसी के द्वारा दायर किया जा सकता है, अर्थात्, 'अधिस्थिति का सिद्धांत (Principle of Locus Standi)' इस रिट पर लागू नहीं होता है। 'अधिस्थिति का सिद्धांत (Principle of Locus Standi)' का अर्थ है कि केवल प्रभावित व्यक्ति (अथवा पार्टी) राहत के लिए अदालतों तक पहुँच सकता है।
2. **परमादेश (Mandamus):** परमादेश उच्च न्यायालय से निचली अदालत या न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल) या किसी अन्य लोक प्राधिकरण को कार्य करने का आदेश है, जो उसके कर्त्तव्य में आते हैं। यह रिट लोक कर्त्तव्यों के प्रदर्शन को सुनिश्चित करने और लोक अधिकारियों द्वारा प्रतिबंधित निजी अधिकारों को लागू करने के लिए जारी की जाती है। अन्य शब्दों में, यह लोक अधिकारियों को एक ऐसा कार्य पालन करने का आदेश देता है जो कि उनके आधिकारिक कर्त्तव्य का हिस्सा है, लेकिन वे ऐसा करने में नाकाम रहे हैं।
3. **निषेध (Prohibition):** निषेध का अर्थ 'मना करना' या 'रोक लगाना' है। इसे 'स्टे आर्डर' भी कहा जाता है। यह रिट तब जारी की जाती है जब एक निचली अदालत या संस्थान उसमें निहित शक्तियों का उल्लंघन करने

का प्रयास करता है। यह रिट न्यायालय द्वारा निचली अदालत या न्यायाधिकरण को जारी की जाती है, जो अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर कार्य करने के लिए मना करती है। इस रिट की घोषणा पर निचली अदालत की कार्यवाही रुक जाती है।

परमादेश एक कार्य करने का आदेश देता है, वहीं निषेध अनिवार्य रूप से एक निचली अदालत को निष्क्रियता के लिए आदेश देता है। निषेध न्यायिक या अर्ध न्यायिक शक्तियों वाले संस्थान के बिना किसी लोक अधिकारी के खिलाफ उपलब्ध नहीं है।

4. **उत्प्रेषण-लेख (Certiorari):** उत्प्रेषण लेख का शाब्दिक अर्थ 'प्रमाणित होना' है। उत्प्रेषण लेख रिट न्यायालय द्वारा निचली अदालत या न्यायाधिकरण में मामले को, उचित विचार के लिए, किसी अन्य वरिष्ठ प्राधिकरण को स्थानांतरित करने के लिए उपयोग की जाती है। इस प्रकार उत्प्रेषण रिट सर्वोच्च न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय द्वारा पहले से ही किसी निचली अदालत द्वारा पारित आदेश को रद्द करने के लिए जारी की जा सकती है।

   दूसरे शब्दों में, जबकि निषेध पहले चरण में उपलब्ध है, उत्प्रेषण-लेख बाद के चरण में सामान्य आधार पर उपलब्ध है। यह भी कहा जा सकता है कि निषेध रिट अधीनस्थ अदालत के सम्मुख कार्यवाही की लंबित अवधि के दौरान उपलब्ध है,लेकिन उत्प्रेषण-लेख निर्णय की घोषणा के बाद ही उपलब्ध होती है।

5. **अधिकार-पृच्छा (Quo Warranto):** इसका शाब्दिक अर्थ 'किस प्राधिकरण द्वारा'है। यह आवश्यक योग्यता के बिना लोक कार्यालय धारण करने वाले व्यक्ति के खिलाफ जारी की जाती है, या जो किसी कार्यालय को रखने के लिए अयोग्य है। उदाहरण के लिए, 62 साल के व्यक्ति को एक लोक कार्यालय पर नियुक्त किया गया है, जबकि सेवानिवृत्ति (retirement) की आयु 60 वर्ष हो। इसमें उचित न्यायालय अयोग्य व्यक्ति के खिलाफ अधिकार-पृच्छा जारी करते हैं।

अनुच्छेद 32 (3) संसद कानून द्वारा, एक उचित न्यायिक निकाय को रिट जारी करने की शक्ति प्रदान कर सकती है। इसके परिणामस्वरूप, संसद ने केन्द्रीय और राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम, 1985 को पारित किया है,जिसके तहत प्रशासनिक न्यायाधिकरण को रिट जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है।

अनुच्छेद 32 के तहत, सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी कर सकता है और अनुच्छेद 226 के तहत, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए उच्च न्यायालय भी रिट जारी कर सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के रिट न्यायक्षेत्र के बीच अंतर (Difference between Writ Jurisdiction of Supreme Court and High Court)

सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court)	उच्च न्यायालय (High Court)
1. सर्वोच्च न्यायालय के पास भारत के पूरे क्षेत्र में रिट जारी करने की शक्ति है। 2. अनुच्छेद 32 के तहत, सर्वोच्च न्यायालय के लिए यह अनिवार्य है कि वह मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी करें।	1. उच्च न्यायालय अपने सीमित क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार के भीतर रिट जारी कर सकता है। 2. अनुच्छेद 226 के तहत, उच्च न्यायालय के लिए रिट जारी करना अनिवार्य नहीं है। उच्च न्यायालय कुछ अन्य राहत भी प्रदान कर सकता है।

मौलिक अधिकार एक नज़र में (Fundamental Rights at a Glance):

अनुच्छेद 14–18 समता का अधिकार (Right to Equality)	
अनुच्छेद 14	कानून के समक्ष समानता (Equality before Law) और कानूनों से समान सुरक्षा (Equal Protection of Laws)
अनुच्छेद 15	राज्य और कुछ मामलों में निजी व्यक्ति, नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं कर सकते
अनुच्छेद 16	सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता
अनुच्छेद 17	अस्पृश्यता अपने सभी रूपों में निषिद्ध है
अनुच्छेद 18	भारत में उपाधि नहीं दी जा सकती है
अनुच्छेद 19–22 स्वतंत्रता का अधिकार (Right to Freedom)	
अनुच्छेद 19	▪ वाक् स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य के अधिकार (Right to Freedom of Speech and Expression) ▪ शांतिपूर्वक और बिना हथियार सम्मेलन की स्वतंत्रता का अधिकार (Right to freedom of assembly peacefully and without arms) ▪ नैतिकता, सभ्यता और सार्वजनिक व्यवस्था आदि के लिए संगम, संघ या सहकारी समिति का गठन करने का अधिकार (Right to form association, union or co-operative society subject to morality, decency, and public order) ▪ गतिविधि की स्वतंत्रता (Freedom of movement) ▪ निवास की स्वतंत्रता (Freedom of residence) ▪ संपत्ति के अधिकार, अब अनुच्छेद 300 क के तहत (Right to property, now under Article 300A) ▪ पसंद के व्यापार और व्यवसाय का अधिकार (Right to trade and profession of one's choice)
अनुच्छेद 20	▪ पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ कोई आपराधिक कानून नहीं (No criminal law with retrospective effect) ▪ एक अपराध के लिए दो बार दंडित नहीं किया जाएगा (No double jeopardy)। ▪ व्यक्ति को स्वयं अपराधी साक्ष्य प्रदान करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा (No compelling for evidence to prove oneself criminal)
अनुच्छेद 21	जीवन और स्वाधीनता की स्वतंत्रता (Freedom of life and liberty)
अनुच्छेद 22	मनमाने ढंग से गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ स्वतंत्रता (Freedom against arbitrary arrest and detention)

अनुच्छेद 23–24 शोषण के विरुद्ध अधिकार (Right Against Exploitation)	
अनुच्छेद 23	मनुष्यों में तस्करी, बेगारी और जबरन मज़दूरी का निषेध। (Trafficking, beggar, and forced labour prohibited)
अनुच्छेद 24	बाल श्रम पर रोक। (Prohibits child labour)
अनुच्छेद 25–28 धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार (Right to Freedom of Religion)	
अनुच्छेद 25	धर्म के बारे में सोच और धर्म की साधना, आचरण और प्रचार के लिए स्वतंत्रता। (Freedom to individuals of conscience and practice, profess, and propagate religion)
अनुच्छेद 26	धार्मिक समूह धर्मार्थ और धार्मिक संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं।(Religious groups can establish charitable and religious institutions)
अनुच्छेद 27	राज्य एक धर्म को बढ़ावा देने के लिए करों को एकत्र नहीं कर सकता।(State cannot collect taxes for promotion of one religion)
अनुच्छेद 28	राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त और राज्य से सहायता प्राप्त करने वाले शैक्षिक संस्थान बच्चों को धार्मिक शिक्षा के लिए मजबूर नहीं कर सकते। (Educational institutions recognized by State and receiving aid from State cannot compel children for religious instruction)
अनुच्छेद 29–30 अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार (Cultural and Educational Rights of Minorities)	
अनुच्छेद 29	अल्पसंख्यक समुदाय अपनी भाषा, लिपि, और संस्कृति को संरक्षित कर सकता है। (Minority can conserve its language, script, and culture)
अनुच्छेद 30	अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान स्थापित कर सकते हैं। (Minority can establish educational institutions)
अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार (Right to Constitutional Remedies)	
अनुच्छेद 32	व्यक्ति मौलिक अधिकार के उल्लंघन पर सर्वोच्च न्यायालय को सीधे संपर्क कर सकता है। (Person can directly approach SC on violation of fundamental right).

अभ्यास प्रश्न I

1. भारतीय संविधान में, समानता का अधिकार प्रदान किया जाता है
   (a) अनुच्छेद 16 से अनुच्छेद 20
   (b) अनुच्छेद 15 से अनुच्छेद 19
   (c) अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18
   (d) अनुच्छेद 13 से अनुच्छेद 17

2. भारत में प्रेस की स्वतंत्रता
   (a) विशेष रूप से संविधान के अनुच्छेद 19(1)(क) में दी गई है।
   (b) संविधान के अनुच्छेद 19(1)(क) द्वारा गारंटीकृत अभिव्यक्ति की व्यापक स्वतंत्रता में निहित है।
   (c) संविधान के अनुच्छेद 361 के प्रावधानों के तहत गारंटी देता है।
   (d) देश में कानून के नियम के संचालन से उत्पन्न होती है।

3. भारत में रहने वाला एक अमेरिकी नागरिक किस मौलिक अधिकार का दावा नहीं कर सकता
   (a) व्यापार और पेशे की स्वतंत्रता
   (b) कानून के समक्ष समानता
   (c) जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता
   (d) धर्म की स्वतंत्रता

4. भारत का संविधान मान्यता देता है
   (a) केवल धार्मिक अल्पसंख्यक
   (b) केवल भाषाई अल्पसंख्यक
   (c) धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक
   (d) धार्मिक, भाषाई, और जातीय अल्पसंख्यक

5. डॉ बी.आर. अम्बेडकर द्वारा निम्नलिखित अधिकारों में से किसका वर्णन संविधान के हृदय और आत्मा के रूप में किया गया था?
   (a) धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार
   (b) संपत्ति का अधिकार
   (c) समानता का अधिकार
   (d) संवैधानिक उपचारों का अधिकार

6. मौलिक अधिकारों के संबंध में भारतीय संविधान में निहित, निम्नलिखित कथनों विचार करें:
   1. धर्म, जाति, लिंग, या जन्म स्थान पर आधारित भेदभाव के खिलाफ।
   2. कानून के समक्ष समानता और कानूनों से समान सुरक्षा।
   3. प्राथमिक शिक्षा का अधिकार।
   4. वाक् स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य।
   5. धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता।

   दिए गए मौलिक अधिकारों में से भारतीय नागरिकों और विदेशियों दोनों के लिए उपलब्ध हैं?
   (a) केवल 1, 2 और 5
   (b) केवल 2, 3 और 5
   (c) 1, 2, 3 और 5
   (d) 1, 2, 4 और 5

7. उपरोक्त में से कौन-सा धर्म की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 25-28) के अधिकार के तहत वर्गीकृत किया गया है?
   1. धर्म के आधार पर भेदभाव का निषेध
   2. धर्म के प्रति सोच की स्वतंत्रता

3. अल्पसंख्यकों को संस्कृति का संरक्षण
4. धार्मिक संस्था के मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 1, 2 और 4
(c) केवल 2 और 4
(d) केवल 2, 3 और 4

8. अनुच्छेद 20 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह राज्य को किसी भी पूर्वव्यापी कानून बनाने से रोकता है।
2. सिविल अदालत किसी व्यक्ति को किसी भी अदालत की कार्यवाही में गवाह होने के लिए मजबूर नहीं कर सकती है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) ना तो 1, ना ही 2

9. भारत में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा जारी किए गए रिट के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. बन्दी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus) की रिट लोक अधिकारियों के खिलाफ ही जारी की जा सकती है।
2. एक गैर सरकारी व्यक्ति या निजी संस्था के खिलाफ परमादेश (Mandamus) की रिट जारी नहीं की जा सकती।
3. निषेध (Prohibition) रिट न्यायिक और अर्ध न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ ही जारी की जा सकती है।
4. उत्प्रेषण-लेख (Certiorari) रिट विधायी निकायों और गैर सरकारी व्यक्तियों के खिलाफ उपलब्ध है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 1 और 4
(c) केवल 2 और 3
(d) केवल 3 और 4

10. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा संविधान में अनुच्छेद 21क सम्मिलित किया गया।
2. संविधान के अनुच्छेद 21क के तहत, 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा एक मौलिक अधिकार है।
3. अनुच्छेद 21क केवल अल्पसंख्यक समूहों पर लागू है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2
(c) केवल 2 और 3
(d) 1, 2 और 3

11. **वाक् स्वातंत्र्य** और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में जनता के बीच हिंसा उत्तेजित करने का अधिकार शामिल है।

2. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार एक पूर्ण अधिकार नहीं है और सीमाओं के अधीन है।
3. यदि कोई विचार, एक अखबार में प्रकाशित, जो कि एक न्यायालय की गरिमा को नजर अंदाज कर देता है, तो न्यायालय को अवमानना प्रावधानों के तहत शक्तियों का उपयोग करने का हक है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2
(c) केवल 2 और 3
(d) 1,2 और 3

12. मौलिक अधिकारों के विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन **गलत** हैं?
    1. 44 वें संशोधन कानून से पहले संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में हुआ करता था।
    2. सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के दायरे को बढ़ा दिया है।
    3. कानून की उचित प्रक्रिया के स्थान पर कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया न्यायपालिका को शक्तिशाली बनाती है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

(a) केवल 1
(b) केवल 3
(c) केवल 1 और 2
(d) केवल 1 और 3

13. निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
    1. भारत में, अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचार केवल मौलिक अधिकारों के मामले में उपलब्ध है, न कि संविधान के कुछ अन्य प्रावधानों के अंतर्गत दिए गए अधिकारों के मामले में।
    2. मौलिक अधिकारों को लागू करने के उद्देश्य के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों दोनों ही रिट जारी कर सकते हैं।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) ना तो 1, ना ही 2

14. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
    1. अनुच्छेद 301 संपत्ति के अधिकार से संबंधित है।
    2. संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार है, लेकिन मौलिक अधिकार नहीं है।
    3. 44 वें संवैधानिक संशोधन द्वारा केंद्र में कांग्रेस सरकार द्वारा अनुच्छेद 300क को सम्मिलित किया गया था।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

मौलिक अधिकारों के अपवाद (Exceptions to Fundamental Rights)

मौलिक अधिकारों के दो प्रकार के अपवाद हैं:

1. **विशिष्ट अपवाद (Specific exceptions)**: ये अपवाद विशिष्ट मौलिक अधिकार के अंतर्गत ही दिए गए हैं। उदाहरण के लिए, भारत की संप्रभुता, भारत की सुरक्षा और विदेशी राज्यों के साथ अनुकूल संबंध जैसे वाक् स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य के लिए कई अपवाद हैं।
2. **सामान्य अपवाद (General exceptions)**: यह अपवाद अनुच्छेद 31क, अनुच्छेद 31ख, अनुच्छेद 31ग, अनुच्छेद 33 और अनुच्छेद 34 के तहत दिए गए हैं।

अनुच्छेद 31क: पांच श्रेणियों के कानून मान्य हैं, भले ही वे अनुच्छेद 14 और 19 के तहत दिए गए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हों। ये श्रेणियां हैं:

1. राज्य द्वारा किसी जागीर का अधिग्रहण करना या जागीर संबंधित अधिकारों का अधिग्रहण करना या फिर जागीर संबंधित अधिकारों को समाप्त या संशोधित करना, या
2. राज्य द्वारा किसी भी संपत्ति के प्रबंधन को सीमित अवधि के लिए लोक हित में या संपत्ति के समुचित प्रबंधन को सुरक्षित रखने के लिए अधिग्रहण करना, या
3. लोक हित में या किसी भी निगम के समुचित प्रबंधन को सुरक्षित करने के लिए दो या अधिक निगमों का एकीकरण, या
4. प्रबंध एजेंटों, सचिवों और कोषाध्यक्षों, प्रबंध निदेशकों, निदेशकों या निगमों के प्रबंधकों के किसी भी अधिकार का या शेयरधारकों के किसी भी मत अधिकार को समाप्त या संशोधित करना, या
5. किसी भी खनिज या खनिज तेल की खोज, या अन्वेषण, समझौते, पट्टे, या लाइसेंस को रद्द करना या खनिज या खनिज तेल से संबंधित अधिकारों को समाप्त या संशोधित करना।

अनुच्छेद 31क के तहत उल्लेखित कानूनों की पांच श्रेणियों द्वारा अनुच्छेद 14 और 19 के तहत दिए गए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कैसे हो सकता है?

उदाहरण के लिए, 'राज्य द्वारा किसी जागीर का अधिग्रहण करना या जागीर संबंधित अधिकारों का अधिग्रहण करना' मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर सकता है।

यह अधिग्रहण संपत्ति (जागीर) के अधिकार, जो कि पहले अनुच्छेद 19(1)(च) के तहत एक मौलिक अधिकार था, का उल्लंघन कर सकता है। इसके अलावा, कुछ सम्पदाओं का अधिग्रहण जबकि दूसरी सम्पदाओं का अधिग्रहण न करना, अनुच्छेद 14 के तहत दी गई समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है।

हम एक और उदाहरण लेते हैं। उदाहरण के लिए, निगमों का एकीकरण, निदेशक के अधिकारों का संशोधन, या खनिज लाइसेंस को समाप्त करना अनुच्छेद 19(1)(छ) के तहत दिए गए व्यवसाय के अधिकार का उल्लंघन कर सकता है।

अनुच्छेद 31ख: 9वीं अनुसूची के अंतर्गत दिए गए कानून लागू होते हैं, भले ही ये कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करें।

वर्तमान में, 9वीं अनुसूची में 284 कानून शामिल हैं। ये कानून मुख्य रूप से भूमि सुधारों से संबंधित हैं। एक विवादास्पद कानून जो तमिलनाडु में 69% आरक्षण का अनुपालन करता है, उसे अनुसूची 9 के अंतर्गत रखा गया है। 69% आरक्षण सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित 50% सीमा से अधिक है। औपनिवेशिक काल से, तमिलनाडु में 69% आरक्षण लागू है।

अनुच्छेद 31ख को मौलिक अधिकारों से अधिक प्राथमिकता क्यों दी जाती है?

9 वीं अनुसूची के तहत रखे गए कानून समग्र समाज के लाभ के लिए हैं। कभी-कभी, ये कानून मौलिक अधिकारों के साथ संघर्ष में हो सकते हैं, जो किसी व्यक्ति के अधिकार हैं।

उदाहरण के लिए, विभिन्न राज्यों द्वारा जमींदारी उन्मूलन का कार्य किसानों के हित में है, लेकिन ज़मीनदारों के पेशे के अधिकार के खिलाफ हैं। विस्तार के लिए, जमींदारी उन्मूलन ने कृषि भूमि के वास्तविक हरवाहा को स्वामित्व दिया और जमींदार के पेशे का सफाया कर दिया जो किसान और सरकार के बीच मध्यस्थ था।

अनुच्छेद 31ग: अनुच्छेद 39 (ख) और अनुच्छेद 39 (ग) के तहत निर्दिष्ट दो निर्देशक सिद्धांतों को प्रभाव में लाने के लिए, अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 के तहत दिए गए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जा सकता है।

अनुच्छेद 39 (ख) राज्य को भौतिक संसाधनों के न्यायसंगत वितरण करने के लिए आदेश देता है। अनुच्छेद 39 (ग) राज्य को धन की एकाग्रता को रोकने के लिए आदेश देता है।

अनुच्छेद 39(ख) और 39(ग) के तहत वर्णित निर्देशों के कार्यान्वयन कैसे अनुच्छेद 14 और 19 के तहत मूल अधिकारों के साथ संघर्ष में आ सकता है?

उदाहरण के लिए, राज्य धन की एकाग्रता को रोकने के लिए उच्च लाभ कमाई व्यवसाय का विभाजन कर सकता है। इस तरह के विभाजन से अनुच्छेद 19(1)(छ) के तहत दिए गए पेशे के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो सकता है, लेकिन यह विभाजन अनुच्छेद 31ग के कारण अनुमत है।

अनुच्छेद 33: संसद कानून द्वारा सुरक्षा बलों के किसी भी मौलिक अधिकार के आवेदन को रोक या संशोधित कर सकता है।

अतः संसद ने सेना अधिनियम, नौसेना अधिनियम, पुलिस अधिनियम, आदि पारित किए हैं, जिसके तहत संघ गठन करने का अधिकार [अनुच्छेद 19(1)(c)] सुरक्षा बलों से वंचित किया गया है। इसके अलावा, संसद ने सुरक्षा बलों को हड़ताल के अधिकार से भी वंचित किया हुआ है।

अनुच्छेद 34: जब किसी भी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू होता है, तो मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लग सकता है। इस प्रकार, उन क्षेत्रों में मौलिक अधिकारों को कम किया जा सकता है, जहां मार्शल लॉ (या सैन्य शासन) लागू है।

मौलिक अधिकारों के अपवाद (Exception to Fundamental Rights)		
अनुच्छेद के तहत (Given under Article)	**प्रावधान क्या हैं? (What are the provisions?)**	**कौन–से मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जा सकता है? (Which Fundamental Right Can Be Violated?)**
अनुच्छेद 31क	जागीर के अधिग्रहण से संबंधित कानून, व्यापार का एकीकरण, प्रबंधक के अधिकारों के संशोधन, समझौते की समाप्ति आदि।	अनुच्छेद 14 और 19
अनुच्छेद 31ख	अनुसूची 9 के तहत दिए गए कानून।	कोई भी मौलिक अधिकार (Any Fundamental Right)
अनुच्छेद 31ग	अनुच्छेद 39 (ख) और 39 (ग) के तहत निर्देशों को लागू करने के लिए कानून पारित किए गए।	अनुच्छेद 14 और 19
अनुच्छेद 33	सुरक्षा बलों के लिए लागू कानून।	कोई भी मौलिक अधिकार (Any Fundamental Right)
अनुच्छेद 34	मार्शल लॉ के दौरान मौलिक अधिकारों पर रोक।	कोई भी मौलिक अधिकार (Any Fundamental Right)

मौलिक अधिकारों की विशेषताएं (Features of Fundamental Rights)

1. मौलिक अधिकार व्यक्तिगत अधिकार हैं।
2. उन्हें राज्य के खिलाफ लागू किया जाता है। हालांकि, इन अधिकारों में से कुछ को दोनों, राज्य और व्यक्तियों के खिलाफ लागू किया जाता है; जैसे कि सार्वजनिक स्थानों में प्रवेश [अनुच्छेद 15 (2)], अस्पृश्यता (अनुच्छेद 17), शोषण के खिलाफ अधिकार (अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24)।
3. मौलिक अधिकारों की सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गारंटी दी गई है और इन्हें कानून द्वारा लागू किया जाता है।
4. संवैधानिक संशोधन के माध्यम से संसद द्वारा मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है।
5. राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 के अलावा, निलंबित किया जा सकता है।
6. मौलिक अधिकारों का दायरा मौलिक अधिकारों के अपवादों द्वारा सीमित है।
7. मौलिक अधिकार को प्रवर्तन के लिए कानून की आवश्यकता है। किसी मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए संसद कानून बनाने के लिए अधिकृत है। उदाहरण के लिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009, अनुच्छेद 21क के प्रावधानों को लागू करने के लिए पारित किया गया था।

मौलिक अधिकारों और अन्य विधिक अधिकारों में अंतर (Difference between Fundamental Rights and Other Legal Rights)

मौलिक अधिकार (Fundamental Rights)	अन्य विधिक अधिकार (Other Legal Rights)
1. यह संविधान के भाग III में प्रदान किए गए हैं। 2. यदि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है, तो एक पीड़ित व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय को अपील कर सकता है।	1. यह संविधान के किसी अन्य भाग (भाग III से अलग) या किसी अन्य कानून में प्रदान किए जाते हैं। 2. अन्य अधिकारों के उल्लंघन के मामले में, एक पीड़ित व्यक्ति को सामान्य न्यायिक प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है।

मौलिक अधिकारों के संशोधन की सीमा (Extent of Amendability of Fundamental Rights)

सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती मामले (1974) में कहा कि संसद संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है। संशोधन मौलिक अधिकारों में भी किया जा सकता है। परंतु, कोई भी संशोधन संविधान के 'बुनियादी ढांचे या आधारिक संरचना या मूल संरचना के सिद्धांत (Doctribe of Basic Structure)' के अधीन होगा।

सर्वोच्च न्यायालय ने बुनियादी ढांचे को परिभाषित नहीं किया है और न ही संविधान के बुनियादी ढांचे के तत्वों की कोई संपूर्ण सूची दी है। हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय ने, अपने विभिन्न निर्णयों में, उल्लेख किया है कि निम्नलिखित प्रावधान संविधान के बुनियादी ढांचे का एक तत्व हैं:

1. भारत की संप्रभुता (Sovereignty of India)
2. धर्मनिरपेक्षता (Secularism)
3. लोकतंत्र (Democracy)
4. गणतंत्र (Republic)
5. विमुक्त और निष्पक्ष चुनाव (Free and fair elections)
6. न्यायिक समीक्षा, आदि। (Judicial review, etc.)

यह सूची प्रकृति में समावेशी (inclusive) अथवा गैर-संपूर्ण (non-exhaustive) है।

इसके अलावा, सर्वोच्च न्यायालय का मानना है कि मूल ढांचे में और तत्व जोड़े जा सकते हैं, लेकिन कोई भी तत्व विलोपन (deletions) नहीं किया जा सकता है।

संविधान के बुनियादी ढांचे के सिद्धांत का उद् गमन (Emergence of Doctrine of Basic Structure of Constitution)

अन्य प्रावधानों के अलावा, पहले संशोधन अधिनियम, 1951, ने अनुच्छेद 19(1)(छ) में प्रतिबंधों को पेश किया (सामान्य जनता के हित में राज्य किसी भी व्यवसाय को आंशिक या पूरी तरह से अधिग्रहण कर सकता है।) और अनुच्छेद 31क और 31ख लागू किए। इस संशोधन अधिनियम ने मौलिक अधिकारों का दायरा कम कर दिया और इस प्रकार इसे शंकरी प्रसाद मामले में 1951 में चुनौती दी गई।

शंकरी प्रसाद मामले में निर्णय,1951 (Judgement in Shankari Prasad Case, 1951)

सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि संसद संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है।

अनुच्छेद 13 में उल्लेखित शब्द 'कानून' का तात्पर्य केवल साधारण कानून से है, संवैधानिक संशोधन से नहीं। अनुच्छेद 13 में कहा गया है कि जो कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, वह एक मृत कानून है।

शंकरी प्रसाद मामले में, सर्वोच्च न्यायालय का मानना था कि संवैधानिक संशोधन अनुच्छेद 13 के दायरे से परे है; इस प्रकार, संवैधानिक संशोधन के माध्यम से मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जा सकता है।

17वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1964 (17th Constitutional Amendment Act, 1964)

संसद ने 1964 में 17वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम पारित किया। इस संशोधन में 9 वीं अनुसूची के तहत राज्य विधायिका द्वारा पारित कुछ कानून शामिल किए गए थे। जैसा कि 9 वीं अनुसूची के तहत कानून लागू किया जा सकता है, भले ही वे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। इस संशोधन के कारण, मौलिक अधिकारों का दायरा कम हो गया।

गोलकनाथ मामला,1967 (Golaknath Case, 1967)

इस मामले में 17वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम की वैधता को चुनौती दी गई थी। इस मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि:

मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान में अनूप स्थान प्रदान किया गया है और इसलिए संसद किसी भी मौलिक अधिकार को घटा या रद्द नहीं कर सकती है।

न्यायालय ने तर्क दिया कि संवैधानिक संशोधन जो कि अनुच्छेद 368 के तहत पारित किया गया है, अनुच्छेद 13 के तहत वर्णित शब्द 'कानून' के दायरे में है। इस प्रकार, अनुच्छेद 13 के प्रावधान संवैधानिक संशोधन अधिनियम पर भी लागू होंगे। इसलिए, संसद संवैधानिक संशोधन अधिनियम पारित नहीं कर सकती, जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है।

इस प्रकार, सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ मामले में, शंकरी प्रसाद मामले से, पूरी तरह से अपना रुख उलट कर दिया।

24वां संशोधन अधिनियम, 1971 (24th Amendment Act, 1971)

संसद ने 1971 में 24 वें संशोधन कानून को पारित करके गोलकनाथ मामले के फैसले को चुनौती दी। इस अधिनियम ने अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 368 में संशोधन किए थे। इस संशोधन में घोषित किया गया था कि:

संसद मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है। संसद किसी भी मौलिक अधिकार को घटा या रद्द कर सकती है।

इसके अलावा, अनुच्छेद 368 में संशोधन किया गया और स्पष्ट किया गया कि संवैधानिक संशोधन अनुच्छेद 13 के दायरे के बाहर है।

केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला, 1973 (Kesavananda Bharati Vs. Kerala State Case, 1973)

इस मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ मामले के तहत दिए गए अपने फैसले को खारिज कर दिया।

सर्वोच्च न्यायालय ने 24वें संशोधन अधिनियम, 1971 की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा और कहा कि संसद को संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने का अधिकार है। इसी समय, सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के 'बुनियादी ढांचे के सिद्धांत' को निर्धारित किया था और अपने फैसले में कहा कि कोई भी संशोधन संविधान के 'बुनियादी ढांचे के सिद्धांत (Doctribe of Basic Structure)' के अधीन होगा। इसका अर्थ है कि संसद संविधान के मूल ढांचे (बुनियादी ढांचा) के सिद्धांत के अधीन मौलिक अधिकारों को घटाने या रद्द करने में सक्षम है।

42वां संशोधन अधिनियम, 1976 (42nd Amendment Act, 1976)

अन्य प्रावधानों में 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 368 में संशोधन किया गया और घोषित किया कि संविधान में संशोधन करने के लिए संसद की शक्ति पर कोई सीमा नहीं है और अनुच्छेद 368 के तहत संसद द्वारा पारित कोई भी संशोधन किसी भी आधार पर अदालत के समक्ष नहीं रखा जा सकता, चाहे संशोधन मौलिक अधिकारों का हो। इस प्रकार, इस संवैधानिक संशोधन ने संविधान में संशोधन के लिए संसद को असीमित शक्ति दी और संवैधानिक संशोधनों की न्यायिक समीक्षा भी समाप्त कर दी।

मिनर्वा मिल्स केस, 1980 (Minerva Mills Case, 1980)

इस मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 368 में बदलावों को रद्द कर दिया था, जिसमें न्यायिक समीक्षा पर रोक लगाई गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि न्यायिक समीक्षा संविधान के बुनियादी ढांचे का एक तत्व है।

इसके अलावा, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संविधान ने संसद को संविधान में संशोधन करने के लिए सीमित शक्ति प्रदान की है। संसद, उस सीमित शक्ति के प्रयोग के तहत, उसका पूर्ण शक्ति में विस्तार नहीं कर सकती। दरअसल, सीमित संशोधन शक्ति संविधान के बुनियादी ढांचे का एक तत्व है और इसलिए उस शक्ति की सीमाओं को नष्ट नहीं किया जा सकता है।

वामन राव केस, 1981 (Waman Rao Case, 1981)

इस मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि बुनियादी ढांचे का सिद्धांत, 24 अप्रैल 1973 के बाद पारित हुए संवैधानिक संशोधनों पर लागू होगा। 24 अप्रैल, 1973 केशवानंद भारती मामले में फैसले की तिथि है।

आई. आर. कोहिलो केस, 2007 (I. R. Coelho Case, 2007)

आई. आर. कोहिलो फैसले में बुनियादी ढांचे के सिद्धांत की पुष्टि की गई है। इस फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संवैधानिक संशोधन जिसमें किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन शामिल है, उसे रद्द किया जा सकता है, चाहे वह संशोधन 9वीं अनुसूची का हिस्सा है; अगर वह 24 अप्रैल 1973 के बाद 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, यानी, केशवानंद भारती मामले फैसले की तिथि के बाद।

मौलिक अधिकारों का निलंबन (Suspension of Fundamental Rights)

आपातकाल अवधि के दौरान, राज्य को मौलिक अधिकारों को निलंबित करने का अधिकार है। यहाँ शब्द 'राज्य' का प्रयोग उसी अर्थ में किया गया है, जैसे इसका इस्तेमाल मूलभूत अधिकारों के अध्याय में किया गया है। इसका अर्थ है कि इन मूलभूत अधिकारों के संचालन को निलंबित करने की शक्ति न केवल संसद में बल्कि केंद्रीय कार्यकारी और अधीनस्थ प्राधिकारी में भी निहित है। मौलिक अधिकारों के निलंबन के लिए संविधान के तहत विशिष्ट प्रावधान निम्नानुसार हैं:

अनुच्छेद 358: बाहरी आधार पर राष्ट्रीय आपात स्थिति के मामले में, अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकार स्वचालित रूप से निलंबित कर दिया जाता है। स्वचालित निलंबन का उल्लेख है कि जैसे ही बाहरी आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है, अनुच्छेद 19 के निलंबन के लिए अलग घोषणा की कोई आवश्यकता नहीं है।

सुरक्षा कारणों से अनुच्छेद 19 के निलंबन की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, यदि लोग भारत के पूरे इलाके में गतिविधि की स्वतंत्रता का आनंद ले रहे हैं, तो कुछ लोग सुरक्षा संबंधी समस्याएं पैदा कर सकते हैं।

अनुच्छेद 359: राष्ट्रपति उद्घोषणा के माध्यम से राष्ट्रीय आपातकाल (चाहे आंतरिक या बाह्य आधार पर) के दौरान किसी भी मौलिक अधिकार को निलंबित कर सकता हैं, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकारों को छोड़कर।

राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने का बाहरी आधार युद्ध या बाहरी आक्रामकता और राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने का आंतरिक आधार आंतरिक सशस्त्र विद्रोह है।

अनुच्छेद 358 और 359 के प्रावधानों के बीच अंतर (Difference between Provisions of Articles 358 and 359)

अनुच्छेद 358	अनुच्छेद 359
अनुच्छेद 358 बाहरी आपातकाल के दौरान लागू होता है।	अनुच्छेद 359 बाहरी या आंतरिक आपातकाल के दौरान लागू होता है।
केवल अनुच्छेद 19 के तहत दिए गए मौलिक अधिकार को निलंबित किया जाता है।	अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर, किसी भी मौलिक अधिकार को निलंबित किया जा सकता है।
अलग घोषणा की कोई आवश्यकता नहीं है।	किसी मौलिक अधिकार को निलंबित करने के लिए अलग उद्घोषणा की आवश्यकता है।

अभ्यास प्रश्न II

1. भारत के संविधान के मूल संरचना सिद्धांत का अर्थ है कि
   (a) संविधान की कुछ विशेषताएं इतनी जरूरी हैं कि उन्हें खारिज नहीं किया जा सकता।
   (b) मौलिक अधिकारों को कम या रद्द नहीं किया जा सकता।
   (c) अनुच्छेद 368 में निर्धारित प्रक्रिया के बिना, संविधान को संशोधित नहीं किया जा सकता है।
   (d) संविधान की प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह संविधान का हिस्सा नहीं है और साथ ही इसकी वास्तविक भावना का प्रतिनिधित्व करता है।
2. 'मूल संरचना' सिद्धांत से जुड़े निम्नलिखित कथनों की जांच करें:
   1. संविधान में मौलिक अधिकारों का एक अनूप दर्जा है और संसद द्वारा उन्हें

संशोधित नहीं किया जा सकता क्योंकि वे संविधान के बुनियादी ढांचे का हिस्सा हैं।

2. विधायिका द्वारा पारित कानून न्यायिक समीक्षा के अधीन हैं।
3. संवैधानिक संशोधन अधिनियम अनुच्छेद 13 के दायरे से बाहर है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 1 और 2
(c) केवल 2 और 3
(d) 1, 2 और 3

3. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
   1. वित्तीय आपातकाल
   2. राष्ट्रीय आपातकाल
   3. मार्शल नियम

उपर्युक्त विशेष परिस्थितियों में से किसका प्रभाव भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर पड़ता है?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) केवल 2 और 3
(d) 1, 2 और 3

4. भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा **गलत** है?
   1. सभी मूलभूत अधिकार केवल राज्य की मनमानी कार्रवाई के खिलाफ उपलब्ध हैं।
   2. इनमें से कुछ कानूनी तौर पर लागू होते हैं जबकि अन्य नहीं हैं।
   3. संसद इनमें कटौती या निरस्त कर सकती है, लेकिन केवल एक संवैधानिक संशोधन द्वारा।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) केवल 1 और 2
(d) 1, 2 और 3

5. भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची को किस संशोधन में संकलित किया गया था?

(a) पहला संशोधन
(b) 8 वां संशोधन
(c) 9 वां संशोधन
(d) 42 वां संशोधन

6. मौलिक अधिकारों के अपवादों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
   1. संविधान की 9वीं अनुसूची में रखे गए कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर सकते हैं।
   2. संसद कानून द्वारा सशस्त्र बलों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित कर सकती है।
   3. अनुच्छेद 39(ख) और 39(ग) के तहत निर्देशक सिद्धांतों को प्रभावी बनाने के लिए कानून असंवैधानिक घोषित नहीं किए जा सकते हैं, चाहे वह किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन करें।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 1 और 3
(c) केवल 2
(d) केवल 3

7. मौलिक अधिकारों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

   1. हालांकि संसद संविधान के किसी अन्य हिस्से में संशोधन कर सकती है, संविधान का भाग III संसद द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता है।
   2. सभी मौलिक अधिकार केवल राज्य के कार्यों के खिलाफ लागू होते हैं, न कि निजी व्यक्तियों के।
   3. सभी मूलभूत अधिकार प्रकृति में नकारात्मक हैं, यानी, वे कार्यों पर प्रतिबंध लगाते हैं।

   उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

   (a) केवल 1
   (b) केवल 2
   (c) केवल 1 और 3
   (d) कोई नहीं

8. निम्नलिखित कथनों में से कौन–सा मौलिक अधिकारों पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का प्रभाव है?

   1. अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकार आंतरिक आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के तहत स्वतः ही स्थगित हो जाते हैं।
   2. किसी भी मौलिक अधिकार को, अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर, राष्ट्रपति द्वारा अपने आदेश के माध्यम से निलंबित किया जा सकता है।

   उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

   (a) केवल 1
   (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों
   (d) ना तो 1, ना ही 2

9. निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संवैधानिक संशोधन अधिनियमों के प्रावधानों को अक्षम करने के लिए "मूल संरचना का सिद्धांत" इस्तेमाल किया गया था?

   1. केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य
   2. मिनर्वा मिल्स बनाम भारत का संघ
   3. सर्वोच्च न्यायालय वकील-पर-रिकॉर्ड-समिति (SCARA) बनाम भारत का संघ
   4. गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य

   नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

   (a) केवल 1
   (b) केवल 1 और 2
   (c) केवल 2 और 3
   (d) 1, 2, 3 और 4

10. निम्न में से कौन सा उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है?

    (a) केंद्र और राज्यों के बीच विवाद
    (b) राज्यों के बीच विवाद
    (c) मौलिक अधिकारों का संरक्षण
    (d) अंतर राज्य नदियों पर विवाद

पिछली प्रारंभिक परीक्षा

1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः **(2005)**
   1. अनुच्छेद 301 संपत्ति के अधिकार से संबद्ध है।
   2. संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है, किन्तु यह मूल अधिकार नहीं है।
   3. भारत के संविधान में अनुच्छेद 300क संविधान संशोधन से अंतः स्थापित किया गया।

   उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
   (a) केवल 2
   (b) 2 और 3 दोनों
   (c) 1 और 3 दोनों
   (d) 1, 2 और 3

2. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः **(2006)**
   1. भारत के संविधान में 76वें संशोधन के अंतर्गत राज्य द्वारा 6-14 वर्षों के आयु-वर्ग के बच्चों को निशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना मूल अधिकार बनाया गया।
   2. सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों तक में कम्प्यूटर शिक्षा दिलाने का प्रावधान है।
   3. शिक्षा, भारत के संविधान के 42वें संशोधन, 1976 द्वारा समवर्ती सूची में सम्मिलित की गई।

   उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
   (a) 1, 2 और 3
   (b) केवल 1 और 2
   (c) केवल 2 और 3
   (d) केवल 1 और 3

3. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: **(2014)**

   संवैधानिक सरकार वह है
   1. जो राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है।
   2. जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है।

   उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
   (a) केवल 1
   (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों
   (d) न तो 1, न ही 2

4. निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा एक सही है? **(2017)**
   (a) अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे हैं।
   (b) अधिकार वे विशेषाधिकार है जो किसी राज्य के संविधान में समाविष्ट हैं।
   (c) अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं।
   (d) अधिकार अधिकांश लोगों के विरुद्ध कुछ नागरिकों के विशेषाधिकार हैं।

5. भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन-से परिकल्पित हैं? **(2017)**
   1. मानव देह व्यापार और बंधुआ मज़दूरी (बेगारी) का निषेध
   2. अस्पृश्यता का उन्मूलन
   3. अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा
   4. कारखाने और खदानों में बच्चों के नियोजन का निषेध

   नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

(a) केवल 1, 2 और 4
(b) केवल 2, 3 और 4
(c) केवल 1 और 4
(d) 1, 2, 3 और 4

6. समाज में समानता के होने का एक निहितार्थ यह है कि उसमें **(2017)**
(a) विशेषाधिकारों का अभाव है
(b) अवरोधों का अभाव है
(c) प्रतिस्पर्धा का अभाव है
(d) विचारधारा का अभाव है

7. निजता के अधिकार को जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्भुत भाग के रुप से संरक्षित किया जाता है| भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किससे उपर्युक्त कथन सही एवं समुचित ढंग से अर्थित होता है? **(2018)**
(a) अनुच्छेद 14 एवं संविधान के 42वें संशोधन के अधीन उपबंध
(b) अनुच्छेद 17 एवं भाग IV में दिए गए राज्य की नीति के निदेशक तत्व
(c) अनुच्छेद 21 एवं भाग III में गारंटी की गई स्वतंत्रताएँ
(d) अनुच्छेद 24 एवं संविधान के 44वें संशोधन के अधीन उपबंध

8. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: **(2018)**
1. भारत की संसद किसी क़ानून विशेष को भारत के संविधान की नौवीं अनुसूची में डाल सकती है।
2. नौवीं अनुसूची में डाले गए किसी क़ानून की वैधता का परीक्षण किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता एवं उसके ऊपर कोई निर्णय भी नहीं किया जा सकता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

9. विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध को, निम्नलिखित में से कौन प्रतिबिम्बित करता है? **(2018)**
(a) यदि विधियाँ अधिक होती हैं तो स्वाधीनता कम होती है।
(b) यदि विधि नहीं हैं तो स्वाधीनता भी नहीं है।
(c) यदि स्वाधीनता है तो विधि-निर्माण जनता को करना होगा।
(d) यदि विधि परिवर्तन बार-बार होता है तो वह स्वाधीनता के लिए ख़तरा है।

उत्तर कुंजी ☑

अभ्यास प्रश्न I

1. (c) **2.** (b) **3.** (a) **4.** (c) **5.** (d) **6.** (b) **7.** (c) **8.** (d) **9.** (c)
10. (a) **11.** (c) **12.** (b) **13.** (c) **14.** (a)

अभ्यास प्रश्न II

1. (a) **2.** (c) **3.** (c) **4.** (c) **5.** (a) **6.** (a) **7.** (d) **8.** (b) **9.** (b)
10. (c)

पिछली प्रारंभिक परीक्षा

1. (b) **2.** (c) **3.** (c) **4.** (c) **5.** (c) **6.** (a) **7.** (c) **8.** (a) **9.** (d)

समाधान

अध्याय-1 संविधान का निर्माण (Making of the Constitution)

अभ्यास प्रश्न

1. (d) भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों के लिए संविधान की व्याख्या करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की एक समान सुविधा है।

   विकल्प (a) गलत है क्योंकि अमेरिका में दो नागरिकताएँ हैं,एक राज्य द्वारा और अन्य संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा।

   विकल्प (b) गलत है क्योंकि भारत का संविधान कानून बनाने वाली शक्तियों को तीन सूचियों में विभाजित करता है, जबकि अमेरिका में कानून शक्तियों को दो सूचियों में बांटा गया है।

   विकल्प (c) गलत है क्योंकि अमेरिका में दोहरी न्यायपालिका प्रणाली है, जबकि भारत में एक न्यायपालिका प्रणाली है। दोहरी न्यायपालिका प्रणाली में, राष्ट्रीय कानून के तहत मामलों की समीक्षा विभिन्न अदालतों द्वारा की जाती है और राज्य कानून के तहत मामलों की समीक्षा अन्य अदालतों द्वारा की जाती है। हालांकि, दोनों तरह की अदालतों से अंतिम अपील सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लगती है।

2. (d) तथ्यपूर्ण
3. (a) भारत और अमेरिका, दोनों में स्वतंत्र न्यायपालिका स्थापित है।
4. (d) भारत सरकार अधिनियम, 1935, ने भारतीय संविधान तैयार करने में सबसे गहरा प्रभाव डाला।
5. (c) तथ्यपूर्ण
6. (b) तथ्यपूर्ण
7. (d) कथन 1 गलत है क्योंकि मूल अधिकारों पर समिति का नेतृत्व सरदार पटेल ने किया था।

   कथन 2 गलत है क्योंकि अल्पसंख्यक समिति का नेतृत्व सरदार पटेल ने किया था।

   कथन 3 गलत है क्योंकि राज्य समिति (राज्यों के साथ बातचीत के लिए समिति) का नेतृत्व राजेंद्र

5. (c) तथ्यपूर्ण

6. (d) तथ्यपूर्ण

7. (c) अनुच्छेद 15, 16 और 19 के अंतर्गत दिए गए मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिक को ही मिले हैं। परंतु, अनुच्छेद 17 के अंतर्गत दिया मौलिक अधिकार हर एक व्यक्ति को उपलब्ध है।

8. (b) कथन 1 गलत है क्योंकि अगर कोई भारतीय नागरिक किसी दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त करता है, तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है।

9. (d) विकल्प (a) गलत है क्योंकि भारतीय नागरिक के नाबालिग बच्चे (और विवाहित नहीं) पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। वास्तव में, एक विवाहित व्यक्ति को 18 वर्ष की आयु से अधिक होने की उम्मीद है।

   विकल्प (b) गलत है क्योंकि एक 25 वर्षीय व्यक्ति पहले से ही बालिग हो चुका है।

   विकल्प (c) गलत है क्योंकि प्रावधान केवल नाबालिग बच्चों के लिए लागू है।

10. (a) भारत का संविधान कानून द्वारा नागरिकता को नियंत्रित करने के लिए संसद को अधिकृत करता है। इस प्रकार, यह संसद है जो भारत में नागरिकता को नियंत्रित करती है।

अध्याय 5 भाग III मौलिक अधिकार (Fundamental Rights)

अभ्यास प्रश्न I

1. (c) तथ्यपूर्ण

2. (b) संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (क) द्वारा गारंटीकृत अभिव्यक्ति की व्यापक स्वतंत्रता में प्रेस की स्वतंत्रता निहित है।

3. (a) अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, और 30 केवल भारतीय नागरिकों के लिए लागू होते हैं। व्यापार और पेशे की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के अंतर्गत दी गई है। इस प्रकार, भारत में एक विदेशी व्यापार और पेशे की स्वतंत्रता का दावा नहीं कर सकता है।

4. (c) अनुच्छेद 26 धार्मिक अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है और अनुच्छेद 29 भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है।

5. (d) अनुच्छेद 32 को डॉ बी.आर. अंबेडकर द्वारा संविधान के हृदय और आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है। किसी भी मौलिक अधिकार के उल्लंघन के मामले में, अनुच्छेद 32 इसके कार्यान्वयन के लिए उपचार का उल्लेख करता है।

6. (b) अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, और 30 केवल भारतीय नागरिकों के लिए लागू होते हैं। इस प्रकार, कानून के समक्ष समानता और कानूनों से समान सुरक्षा (अनुच्छेद 14), प्राथमिक शिक्षा का अधिकार (अनुच्छेद 21), और धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 25 और 26) दोनों विदेशियों और भारत के नागरिकों को उपलब्ध हैं।

7. (c) धर्म के आधार पर भेदभाव का निषेध -अनुच्छेद 15

धर्म के प्रति सोच की स्वतंत्रता - अनुच्छेद 25

अल्पसंख्यकों को संस्कृति का संरक्षण- अनुच्छेद 29 और 30

धार्मिक संस्था के मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता-अनुच्छेद 26

8. (d) कथन 1 गलत है क्योंकि अनुच्छेद 20 राज्य को केवल पूर्वव्यापी (Ex Post Facto) आपराधिक कानून (क्रिमिनल कानून) बनाने के लिए प्रतिबंधित करता है, कोई भी कानून बनाने से नहीं। सिविल कानून पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ लागू किया जा सकता है।

कथन 2 गलत है क्योंकि अनुच्छेद 20 केवल स्वयं अभियोग पर प्रतिबंध लगाता है। दूसरे शब्दों में, राज्य एक व्यक्ति को आपराधिक मामलों में स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य उत्पन्न करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है। इसका यह अर्थ नहीं है कि सिविल अदालतें किसी भी अदालत की कार्यवाही में एक व्यक्ति को गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं कर सकती है।

9. (c) कथन 1 गलत है क्योंकि सार्वजनिक अधिकारियों के साथ-साथ निजी व्यक्तियों के खिलाफ भी बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जा सकती है।

कथन 2 और 3 सही हैं।

कथन 4 गलत है क्योंकि न्यायिक और अर्ध-न्यायिक निकायों के खिलाफ उत्प्रेषण लेख रिट उपलब्ध है।

इस प्रकार, कथन 1 और 4 सही हैं।

10. (a) कथन 1 और 2 सही हैं।

कथन 3 गलत है क्योंकि अनुच्छेद 21 क सभी भारतीयों के लिए उपलब्ध है।

11. (c) कथन 1 गलत है क्योंकि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता विभिन्न सीमाओं के अधीन है, जैसे कि सार्वजनिक व्यवस्था। इस प्रकार, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में लोगों के बीच हिंसा उत्तेजित करने का अधिकार शामिल नहीं है।

12. (b) कथन 1 और 2 सही हैं।

कथन 3 गलत है। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के स्थान पर कानून की उचित प्रक्रिया न्यायपालिका को शक्तिशाली बनाती है।

इस प्रकार, केवल कथन 3 गलत है।

13. (c) दोनों कथन सही हैं।

14. (a) कथन 1 गलत है। अनुच्छेद 300 क संपत्ति के अधिकार से संबंधित है।

कथन 2 सही है।

कथन 3 गलत है। जनता पार्टी सरकार द्वारा अनुच्छेद 300 क को संविधान में डाला गया था।

अभ्यास प्रश्न II

1. (a) उत्तर विकल्प स्वयं-व्याख्यात्मक है।

2. (c) कथन 1 गलत है। संसद द्वारा मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। हालांकि, वे इस हद तक संशोधित नहीं किए जा सकते हैं कि यह संशोधन संविधान की बुनियादी संरचना का उल्लंघन करता हो।

3. (c) तथ्यपूर्ण

4. (c) कथन 1 गलत है क्योंकि कुछ मौलिक अधिकार व्यक्तियों की मनमानी कार्रवाई के खिलाफ जैसे कि अनुच्छेद 15 (2) और अनुच्छेद 17, उपलब्ध हैं।

   कथन 2 गलत है क्योंकि सभी मौलिक अधिकार कानूनी रूप से लागू हैं।

   कथन 3 सही है।

   इस प्रकार, केवल कथन 1 और 2 गलत हैं।

5. (a) तथ्यपूर्ण

6. (a) कथन 3 गलत है, क्योंकि अनुच्छेद 39(ख) और 39(ग) के तहत निर्देशक सिद्धांतों को प्रभावी बनाने के लिए कानून को असंवैधानिक घोषित नहीं किया जा सकता, यदि वह कानून केवल अनुच्छेद 14 और 19 के तहत मौलिक अधिकारों (कोई भी मौलिक अधिकार नहीं) का उल्लंघन करें।

7. (d) कथन 1 गलत है क्योंकि संसद भाग III सहित संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है।

   कथन 2 गलत है क्योंकि व्यक्तियों की मनमानी कार्रवाई के खिलाफ कुछ मौलिक अधिकार उपलब्ध हैं।

   कथन 3 गलत है मौलिक अधिकारों को प्रकृति में नकारात्मक माना जाता है क्योंकि वह राज्य पर और कुछ मामलों में निजी व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगाते हैं। हालांकि, कुछ मौलिक अधिकार स्वभाव में सकारात्मक हैं। क्योंकि वे व्यक्तियों पर अतिरिक्त लाभ या स्वतंत्रता प्रदान करते हैं जैसे कि धर्म का अभ्यास करने की आजादी, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आदि।

8. (b) कथन 1 गलत है क्योंकि अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकारों को स्वचालित रूप से निलंबित कर दिया जाता है, जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा बाहरी आधार पर होती है।

   कथन 2 सही है।

9. (b) सुप्रीम कोर्ट के वकील-पर-रिकॉर्ड-समिति (SCARA) बनाम भारत का संघ उच्च न्यायपालिका में नियुक्तियों से संबंधित है।

   बुनियादी ढांचे का सिद्धांत न्यायपालिका द्वारा गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में इस्तेमाल नहीं किया गया था।

10. (c) तथ्यपूर्ण

पिछली प्रारंभिक परीक्षा

1. (b) कथन 1 गलत है क्योंकि अनुच्छेद 300 क संपत्ति के अधिकार से संबंधित है।

   कथन 2 और 3 सही हैं।

2. (c) कथन 1 गलत है क्योंकि 6 से 14 वर्ष के बीच बच्चों को नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा संविधान के 86 वें संशोधन (76 वें नहीं) द्वारा प्रारंभ की गई थी।

   कथन 2 सही है सर्व शिक्षा अभियान ग्रामीण क्षेत्रों में भी कंप्यूटर शिक्षा प्रदान करना चाहता है।

   कथन 3 भी सही है। 1976 के 42वें संशोधन अधिनियम ने पांच विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया, वह हैं, (a) शिक्षा, (b) वन, (c) वजन और माप,(d) जंगली जानवरों और पक्षियों की सुरक्षा, और (e) न्याय का प्रशासन; सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को छोड़कर सभी अदालतों के गठन और संगठन।

3. (c) दोनों कथन 1 और 2 सही हैं।

   व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर प्रभावी प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता है क्योंकि व्यक्तियों द्वारा स्वतंत्रता का मनमाना प्रयोग पूरे समाज के हित में बाधित हो सकता है। राज्य को व्यक्तियों के मनमाने कार्यों को जांचने और समग्र समाज के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का अधिकार दिया गया है।

   साथ ही, स्वतंत्रता के हित में राज्य के अधिकार पर प्रभावी प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता है। अगर राज्य में बहुत अधिक शक्तियां निहित होती हैं, तो ऐसी शक्तियों का उपयोग स्वैच्छिक रूप से किया जा सकता है जो कि आम लोगों के हितों के खिलाफ हो सकता है।

   एक संवैधानिक सरकार में उपर्युक्त दोनों विशेषताएं होती हैं। इसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता और साथ ही राज्य के अधिकार पर प्रतिबंध शामिल होते हैं।

4. (c) विकल्प (a) और (d) पूरी तरह गलत हैं।

   विकल्प (b) गलत है क्योंकि एक राज्य के संविधान में सभी अधिकारों का उल्लेख करना जरूरी नहीं है। उदाहरण के लिए, अधिकार सामान्य कानूनों, कार्यकारी आदेशों में भी उल्लेखित हो सकते हैं।

5. (c) तथ्यपूर्ण

6. (a) अनुच्छेद 14 समाज में समानता के लिए है। यह बताता है कि राज्य कानूनों के आवेदन में किसी भी विशेषाधिकार को नहीं मानेगा।

   विशेषाधिकार का आनंद कुछ उठाते हैं। जब कुछ लोग समाज में विशेषाधिकारों का आनंद उठाने हैं, तो समानता नहीं हो सकती।

8. (a) कथन 1 सही है। भारत की संसद किसी क़ानून विशेष को भारत के संविधान की नौवीं अनुसूची में डाल सकती है।
   कथन 2 गलत है। नौवीं अनुसूची में डाले गए किसी क़ानून की वैधता का परीक्षण किसी न्यायालय द्वारा किया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय ने ऐसा कई बार दोहराया है।

9. (d) विकल्प (a) गलत है, क्योंकि यह जरूरी नहीं है कि कानून स्वतंत्रता को कम करते हैं। असल में, कुछ कानून स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए पारित किए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर, भारतीय संविधान अनुच्छेद 21 के माध्यम से अपने नागरिक को स्वतंत्रता और अनुच्छेद 19 के माध्यम से भाषण और अभिव्यक्ति, संचलन, समूह, पेशे इत्यादि सहित विभिन्न स्वतंत्रताएं प्रदान करता है।
विकल्प (b) गलत है। यह सच है कि स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए कानून पारित किए जा सकते हैं। वास्तव में, विकल्प (b) राजनीतिक विचारक जॉन लॉक द्वारा एक कथन था। हालांकि, यह नहीं कहा जा सकता है कि यदि कोई कानून नहीं है, तो कोई स्वतंत्रता नहीं है। यह गलत है क्योंकि यह एक चरम कथन है।
विकल्प (c) भी गलत है। ऐसा हो सकता है कि लोग स्वतंत्रता को सीमित करने के लिए कानून पारित करें; उदाहरण के लिए जाति व्यवस्था के नियम।
विकल्प (d) सही है। यदि कानून अक्सर बदले जाते हैं, तो स्वतंत्रता खतरे में पड़ती है क्योंकि ऐसे मामले में, स्वतंत्रता को सीमित करने के लिए कानूनों में संशोधन किया जा सकता है।

अध्याय 6 भाग IV राज्य कय़ नीति के निर्देशक सिद्धांत (Directive Principles of State Policy)

अभ्यास प्रश्न (Practice Questions)

1. (a) तथ्यपूर्ण
2. (a) कथन 2 गलत है क्योंकि गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता राज्य नीति (डीपीएसपी) का निर्देशक सिद्धांत है, और डीपीएसपी कानूनी तौर पर लागू नहीं होते हैं।
3. (c) दोनों कथन सही हैं।
4. (d) डीपीएसपी में सामाजिक और आर्थिक सशक्तीकरण और समानता लाने का एजेंडा है। इस प्रकार, हम यह कह सकते हैं कि भारतीय संविधान में डीपीएसपी को शामिल करने का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है।
5. (c) कथन 1 और 2 सही हैं।

   कथन 3 गलत है क्योंकि डीपीएसपी राज्य पर लागू होते हैं और राज्य को अनुच्छेद 36 में परिभाषित किया गया है।
6. (b) तथ्यपूर्ण
7. (d) एल.आई.सी. एक सरकारी निगम है। इस प्रकार, इससे डीपीएसपी का पालन करने की उम्मीद है। 1, 2 और 3 के विवरण के तहत वर्णित एजेंसियों को स्पष्ट रूप से अनुच्छेद 36 के तहत उल्लिखित किया गया है, जो आगे संविधान के अनुच्छेद 12 को संदर्भित करता है।
8. (c) कथन 1, 2, और 3 सही हैं।

   कथन 4 गलत है क्योंकि अनुच्छेद 51 क निरस्त्रीकरण के बारे में उल्लेख नहीं करता है।

मुख्य परीक्षा में उत्तर लिखने की रणनीति

एक अच्छा उत्तर निम्नलिखित पहलुओं पर आधारित है।

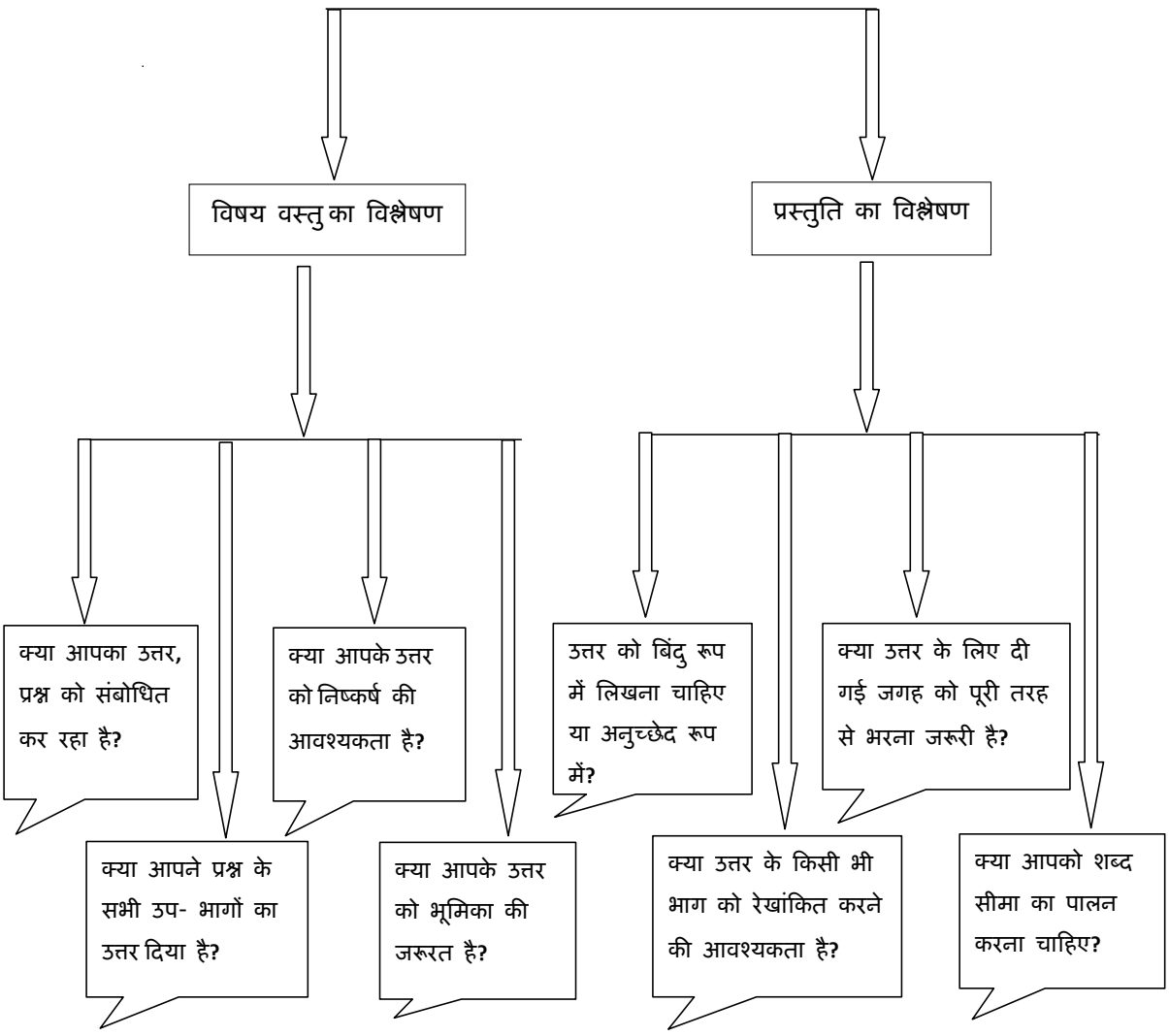

आइए, हम चित्र में दिए गए पहलुओं पर विचार करते हैं।

1. क्या आपका उत्तर, प्रश्न को संबोधित कर रहा है?

कम अंक आने का सबसे सामान्य कारण अभ्यर्थी की प्रश्न को समझने की क्षमता में कमी होना है।

क्या आपने कभी भी किसी अभ्यर्थी को यह कहते हुए सुना है कि मैंने लगभग सभी (या सभी) प्रश्नों के उत्तर दिए थे, लेकिन फिर भी मैं मुख्य परीक्षा पास नहीं कर सका?

संभवतया: आप ऐसे अभ्यर्थी से मिले हैं, जिसके उत्तरों ने प्रश्नों को संबोधित नहीं किया; अर्थात् उसने प्रश्नों को पूरी तरह से समझे बिना ही उत्तर लिख दिए।

प्रश्न को ठीक से कैसे संबोधित करना है, यह समझने के लिए हम प्रत्येक प्रश्न को दो भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं: **'कथन'** और **'अनुदेश'**।

उदाहरण के लिए

आधारिक संरचना के सिद्धांत से प्रारंभ करते हुए, न्यायपालिका ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि भारत एक उन्नतिशील लोकतंत्र के रूप में विकसित करे, एक उच्चत: अग्रलक्षी (प्रोएक्टिव) भूमिका निभाई है। इस कथन के प्रकाश में लोकतंत्र के आदर्शों की प्राप्ति के लिए हाल के समय में न्यायिक सक्रियतावाद द्वारा निभाई भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। **(2014)**

उपर्युक्त प्रश्न में, कथन 'लोकतंत्र के आदर्शों को प्राप्त करने में न्यायिक सक्रियता द्वारा निभाई गई भूमिका' है और अनुदेश 'मूल्यांकन' है।

मान लीजिए कि एक उम्मीदवार लोकतंत्र के आदर्शों को प्राप्त करने में न्यायिक सक्रियता द्वारा निभाई गई भूमिका को 'विवरण' करता है। ऐसे उम्मीदवार के अंकों में गंभीर रूप से कटौती की जाएगी।

मूल्यांकन 'का मतलब किसी मुद्दे के पक्षों और विपक्षों दोनों की पहचान करना है, विवरण देने का अर्थ केवल व्याखया प्रस्तुत करना है।

कथन का मूल्यांकन करने वाले उम्मीदवार लोकतंत्र के आदर्शों को प्राप्त करने में न्यायिक सक्रियता के सकारात्मक और नकारात्मक योगदान को लिखेंगे।

पिछले वर्षों के प्रश्न (मुख्य परीक्षा) समाधान के साथ

1. 'संविधान में संशोधन करने के संसद के स्वैच्छिक अधिकार पर भारत का उच्चतम न्यायालय नियंत्रण रखता है।' समालोचनात्मक विवेचना कीजिए। (2013)

प्रश्न का विश्लेषण	
समालोचनात्मक विवेचना	प्रश्न के अनुसार मुद्दे को अलग-अलग भागों में तोड़ना और इन भागों का गहन विश्लेषण करना।
उप-भागों की संख्या	एक
प्रस्तुति का तरीका	परिच्छेद
निष्कर्ष का महत्व	अपेक्षित

भूमिका

संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदत्त की गई है। हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय इस शक्ति पर नियंत्रण रखता है, खासकर जब इसे मनमाने ढंग से प्रयोग किया जाता है।

मुख्य भाग

परिच्छेद 1

सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक समीक्षा के माध्यम से ऐसा नियंत्रण रखता है। सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक समीक्षा के माध्यम से संसद द्वारा पारित किसी भी संवैधानिक संशोधन का मूल्यांकन कर सकता है, और यदि इसमें सत्ता का मनमाने ढंग से प्रयोग शामिल है, तो सर्वोच्च न्यायालय संवैधानिक संशोधन को अमान्य घोषित कर सकता है।

परिच्छेद 2

न्यायिक समीक्षा के प्रयोग के माध्यम से, सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, 1973 में मूल संरचना के सिद्धांत को तैयार करके संवैधानिक संशोधन शक्ति पर स्थायी सीमाएं स्थापित की हैं। इस सिद्धांत के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय किसी भी संवैधानिक संशोधन को शून्य घोषित कर सकता है,यदि यह संशोधन संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन करता है।

परिच्छेद 3

इसके अलावा, सर्वोच्च न्यायालय ने मूल संरचना को परिभाषित नहीं किया है। कई निर्णयों में, इसने संविधान के विभिन्न प्रावधानों को मूल संरचना का दर्जा प्रदान किया है। उनमें से कुछ लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, गणराज्य, संप्रभु, कानून का शासन, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, न्यायिक समीक्षा और संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 हैं। इसके अलावा, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि मूल संरचना में अधिकता की जा सकती है, लेकिन कोई विलोपन नहीं किया जा सकता।

निष्कर्ष

इस प्रकार, सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक समीक्षा के तंत्र और मूल संरचना के सिद्धांत के उपयोग के माध्यम से अवांछनीय संवैधानिक संशोधन पर नियंत्रण रखता है। सर्वोच्च न्यायालय की इस तरह की भूमिका के कारण, इसे संविधान के अभिभावक के रूप में माना जाता है।

2. अंतर-राज्य जल विवादों का समाधान करने में सांविधानिक प्रक्रियाएं समस्याओं को संबोधित करने व हल करने में असफल रही हैं। क्या यह असफलता संरचनात्मक अथवा प्रक्रियात्मक अपर्याप्तता अथवा दोनों के कारण हुई है? विवेचना कीजिए। (2013)

प्रश्न का विश्लेषण	
विवेचना कीजिए	अलग-अलग मुद्दों या विचारों को ध्यान में रखते हुए विषय को विस्तार से लिखें।
उप-भागों की संख्या	दो भाग: भाग I-संरचनात्मक अपर्याप्तता; भाग II- प्रक्रिया अपर्याप्तता
प्रस्तुति का तरीका	बिंदु
निष्कर्ष का महत्व	अपेक्षित

भूमिका

अनुच्छेद 262 के तहत, संविधान संसद को अंतर-राज्य जल विवादों को हल करने के तंत्र प्रदान करने के लिए अधिकृत करता है। संसद ने अंतर-राज्य जल विवाद अधिनियम, 1956 पारित किया है, जो केंद्र सरकार को जल विवाद के लिए तदर्थ अधिकरण बनाने के लिए अधिकृत करता है। ये अधिकरण निम्नलिखित कारकों के कारण नाकाम रहे हैं:

संरचनात्मक अपर्याप्तता

1. अंतर–राज्य जल विवाद अधिकरण प्रकृति में तदर्थ हैं।
2. अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिकरण का नेतृत्व सेवानिवृत्त न्यायाधीश करते हैं।
3. अधिकरणों के साथ जलविद्युत विशेषज्ञों सहित कर्मचारियों की कमी।
4. आदेश लागू करने के लिए तंत्र की कमी।

प्रक्रिया अपर्याप्तता

1. पानी के वितरण के लिए मानदंडों की कमी।
2. पानी की आवश्यकताओं में बदलाव।
3. विवादों को राजनीतिक रूप दिया जाना।
4. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप।

निष्कर्ष

दोनों संरचनात्मक और प्रक्रिया अपर्याप्तता ने अंतर्राज्यीय जल विवादों को हल करने की विफलता में योगदान दिया है।

(**नोट:** उपर्युक्त उत्तर में, केवल विभिन्न तर्कों के लिए शीर्षक दिया गया है। प्रत्येक शीर्षक को औचित्य देने के लिए एक पंक्ति स्पष्टीकरण की आवश्यकता है।

3. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 156 (3) प्रदान करता है कि एक राज्यपाल उस तारीख से पांच वर्ष की अवधि रखेगा, जिस पर वह अपने कार्यालय में प्रवेश करता है। केंद्र में सरकार के परिवर्तन के साथ राज्यपाल को हटाने पर केंद्रित हालिया विवाद का आप कैसे विश्लेषण करते हैं? (2013)

4. पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के हाल के निर्देशों को नागाओं द्वारा उनके राज्य को मिली विशिष्ट स्थिति को रद्द करने के खतरे के रूप में देखा गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371A के आलोक में इसकी विवेचना कीजिए। (2013)